कुरुक्षेत्र

सितम्बर, 1987 मूल्य 2 रुपये

सरकार पेयजल समस्या के प्रति प्रयत्नशील

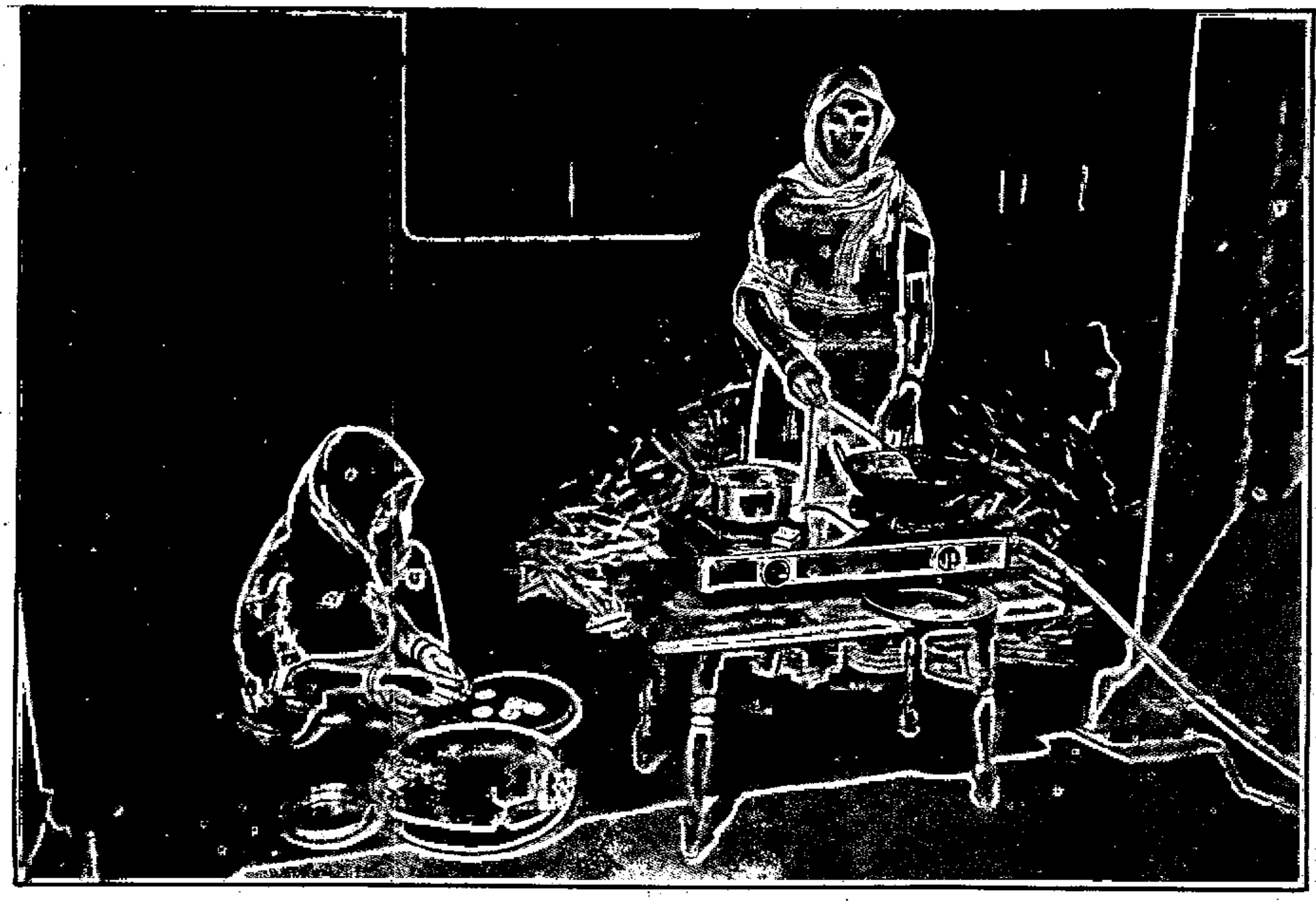

बीस-सूत्री कार्यक्रम 1986

19. गांवों के लिए ऊर्जा

हम :

- गांवों में उत्पादन कार्यों के लिए बिजली की सप्लाई का विस्तार करेंगे ;
- ऊर्जा के वैकल्पिक साधनों का विकास करेंगे, खासतौर पर गोबर गैस का; और
- विशिष्ट ग्रामीण क्षेत्रों में ऊर्जा विकास के एकीकृत कार्यक्रमों को प्रोत्साहित करेंगे।

कुरुक्षेत्र

ग्रामीण विकास का प्रमुख मासिक

वर्ष-32 भाद्रपद-अश्विन शक 1908 अंक-11

इस अंक में पृष्ठ संख्या

पंडित गोविन्द बल्लभ पंत 2
नवीन पंत

माटी भी बन जाती सोना (कविता) 5
डा. राकेश अग्रवाल

लिफ्ट सिंचाई योजनाएं : किसानों के लिए वरदान 6
श्याम सुन्दर जोशी

भारत में भूमि सुधार 9
निरमल दास माहेश्वरी

ग्रामीण विकास के चार दशक 11
सी.पी. लक्ष्मणन्

भीखू 14
शांति

राजस्थान के आदिवासी — बहुत कुछ बदला है बहुत कुछ बदल रहा है 20
प्रभात कुमार सिंघल

गांवों में स्वच्छ पेयजल की समस्याएं एवं समाधान 25
मधु शुक्ला

घाड़ की जिन्दगी के चालीस साल 27
महेन्द्रपाल काम्बोज

राजस्थान का पहाड़ी ग्राम नोलाव 30
बलवन्त सिंह हाड़ा

हरियाणा राज्य में कृषि विज्ञान केन्द्र द्वारा समन्वित ग्रामीण विकास 32
डा. जनार्दन चतुर्वेदी

बादल कहां चले जाते हैं 35
शुभ्रा शर्मा

उत्तर प्रदेश के गांवों में विकास की लहर 36
ममता

'कुरुक्षेत्र' के लिए मौलिक लेख, कहानी, एकांकी, कविता, संस्मरण, हास्य-व्यंग्य चित्र आदि भेजिए।

●

अस्वीकृत रचनाओं की वापसी के लिए टिकट लगा व पता लिखा लिफाफा साथ आना आवश्यक है।

●

'कुरुक्षेत्र' की एजेन्सी लेने, ग्राहक बनने, पता बदलने या अंक न मिलने की शिकायत, व्यापार व्यवस्थापक, प्रकाशन विभाग, पटियाला हाउस, नई दिल्ली-110001 से कीजिये।

सम्पादकीय पत्र-व्यवहार : सम्पादक, कुरुक्षेत्र (हिन्दी), कृषि मंत्रालय, ग्रामीण विकास विभाग, 467, कृषि भवन, नई दिल्ली के पते पर करें।

दूरभाष : 384888

एक प्रति : 2.00 रु.

वार्षिक चन्दा : 20 रु.

सहायक सम्पादक : गुरचरण लाल लूथरा
उप सम्पादक : राकेश शर्मा

सहायक निदेशक (उत्पादन) : राम स्वरूप मुंजाल

आवरण पृष्ठ : जीवन अडलजा

चित्र : फोटो प्रभाग एवं ग्रामीण विकास विभाग से साभार

पंडित गोविन्द बल्लभ पंत

नवीन पन्त

पं. गोविन्द बल्लभ पंत स्वतंत्रता संग्राम के अग्रणी सेनानी, राजनीतिज्ञ और कुशल सांसद एवं प्रशासक थे। वे हिमालय की तरह पवित्र, निर्मल, शक्तिशाली, अदम्य और दुर्भेद्य थे। नेहरूजी तथा उनके अनेक सहयोगी पन्तजी को हिमालय पुत्र कहते थे। उनका व्यक्तित्व शानदार था। विशाल लम्बा-चौड़ा शरीर, चौड़ा ललाट और बड़ी-बड़ी मर्मभेदी सुन्दर आंखें। उनमें चट्टान की दृढ़ता थी। उन्हें देखकर लगता था कि विधाता ने ग्रेनाइट की कठोर चट्टानों से उनका निर्माण किया है। कठिन से कठिन संकट एवं तूफान के दौरान भी वह विचलित नहीं होते थे। उनकी दृढ़ता, शान्ति और शक्ति हमेशा दूसरों को भी प्रेरणा देती थी। बाहरी कठोरता के बावजूद उनके हृदय में करुणा का सागर हिलोरे लेता था और अवसर पड़ते ही निर्झर झरने की तरह फूट पड़ता था। शायद पन्तजी जैसे महान पुरुष को देखकर ही महाकवि ने वज्र की तरह कठोर और कुसुम की तरह कोमल की अनुपम मनोहारिणी कल्पना की थी।

पन्तजी लगभग चौथाई शताब्दी तक भारतीय राजनीतिक क्षितिज पर छाए रहे। स्वराज्य पार्टी के नेता, उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री, कांग्रेस कार्यसमिति और कांग्रेस संसदीय बोर्ड के सदस्य और भारत के गृहमंत्री के रूप में उन्होंने अपनी सूझ-बूझ, बुद्धिमत्ता और दूर दृष्टि से तत्कालीन इतिहास पर गहरी छाप छोड़ी। उनकी प्रशासकीय योग्यता को देखकर चोटी के नौकरशाह दंग रह जाते थे। स्वतंत्रता से पूर्व उत्तर प्रदेश के गवर्नर और अंग्रेज सिवीलियन अधिकारियों ने उनकी प्रशासकीय योग्यता की भूरि-भूरि प्रशंसा की थी।

पं. गोविन्द बल्लभ पन्त का जन्म 10 सितंबर, 1887 को एक साधारण मध्यमवर्गीय परिवार में अल्मोड़ा (खूट) में हुआ था।

पं. गोविन्द बल्लभ पन्त की स्कूली शिक्षा अल्मोड़ा में अपने ननिहाल में हुई। उनके नाना राय बहादुर बद्रीदत्त जोशी अंग्रेजी शासन के स्तम्भ समझे जाते थे। पं. गोविन्द बल्लभ पंत मेहनती और प्रतिभा सम्पन्न छात्र थे। उन्हें संस्कृत, गणित और अंग्रेजी विषय विशेष रूप से प्रिय थे। उन्होंने लोवर मिडिल की परीक्षा प्रथम श्रेणी में पास की थी।

उन्होंने 1903 में प्रथम श्रेणी में मैट्रिक की परीक्षा पास की। इन्टरमीडियट के दूसरे वर्ष गोविन्द बल्लभ को दिल का पहला दौरा पड़ा। इसके परिणाम स्वरूप उन्हें काफी समय तक शय्या पकड़नी पड़ी। फिर भी उन्होंने 1905 में द्वितीय श्रेणी में इन्टरमीडियेट परीक्षा पास की। समूचे संयुक्त प्रांत (वर्तमान उत्तर प्रदेश) में उनका बीसवां स्थान था। प्रांतीय सरकार ने उनको 20 रु. महीना वजीफा देने की घोषणा की।

पं. गोविन्द बल्लभ पंत 1095 की जुलाई में इलाहाबाद पहुंचे। यह वर्ष हमारे देश में युगान्तरकारी था। अंग्रेज सरकार ने बंगाल के विभाजन की घोषणा की, जिसके विरोध में स्वदेशी आंदोलन का जन्म हुआ। बंगाल के विभाजन के विरोध में आए दिन सभाएं, सम्मेलन और विरोध प्रदर्शन होने लगे। 16 अक्तूबर को जब पूर्वी बंगाल की स्थापना की गई तो देश भर में शोक दिवस मनाया गया। इसी वर्ष बनारस में कांग्रेस का अधिवेशन हुआ। पं. गोविन्द बल्लभ पंत इस अधिवेशन में स्वयं सेवक बन कर गए। सम्मेलन में गोपाल कृष्ण गोखले के भाषण से वह बहुत ही प्रभावित हुए। उन्होंने अपना जीवन देश सेवा में लगा देने का संकल्प किया।

बी.ए. के बाद उन्होंने कानून की पढ़ाई शुरू की। 1909 में पंतजी ने इलाहाबाद विश्वविद्यालय की कानून की परीक्षा में सर्वोच्च स्थान प्राप्त करके लम्सडन स्वर्ण पदक प्राप्त

किया। उन्होंने 1910 में अल्मोड़ा में वकालत शुरू की। फिर वह काशीपुर चले गये। काशीपुर में शीघ्र ही उनकी गणना चोटी के वकीलों में होने लगी। इन दिनों पन्तजी बड़े वकील का जीवन बिताते थे। खूब पान-तम्बाकू खाते थे। एक दिन वह धोती, कुर्ता और गांधी टोपी लगा कर अदालत में पहुंचे, मजिस्ट्रेट ने उनकी इस पोशाक पर आपत्ति की तो उन्होंने कहा "अदालत छोड़ सकता हूं लेकिन टोपी नहीं।" पंतजी की संकल्प शक्ति गजब की थी। अगर वह कोई फैसला कर लेते थे तो फिर चाहे कुछ हो जाए वह उस पर कायम रहते थे।

काशीपुर में वकालत के अतिरिक्त पंतजी ने शिक्षा, समाज-सुधार और राजनीति में रुचि लेना शुरू किया। बाद में पंतजी मोतीलाल नेहरू के सम्पर्क में आए और उनके अनुरोध पर उन्होंने 1923 में उत्तर प्रदेश विधान परिषद् का चुनाव लड़ा। चुनाव में पंतजी विजयी हुए। मोतीलालजी उनकी प्रतिभा, कार्य कुशलता और योग्यता से इतने अधिक प्रभावित हुए कि उनके प्रयत्नों से वह विरोधी दल के नेता चुने गए। वह सात वर्ष तक इस पद पर रहे। 1930 में कांग्रेस के आदेश पर उन्होंने परिषद् की सदस्यता से त्यागपत्र दे दिया।

पंतजी 1927 में उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष निर्वाचित हुए। उनकी अध्यक्षता में उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी ने साइमन कमीशन के विरोध का फैसला किया। उन्होंने साइमन कमीशन के विरोध में आयोजित प्रदर्शन का स्वयं नेतृत्व किया। इस प्रदर्शन के दौरान नेहरूजी और पंतजी सहित हजारों प्रदर्शनकारियों पर पुलिस ने निर्ममता से लाठी-प्रहार किया।

नेहरूजी ने अपनी जीवन कथा 'मेरी कहानी' में इस प्रसंग का वर्णन करते हुए लिखा है : "मुझे किसी नाजुक जगह पर चोट नहीं आई। परंतु हमारे कई साथी इतने खुशकिस्मत न थे। उन्हें बुरी तरह चोट आई। गोविंद बल्लभ पंत पर, जो मेरे पास खड़े थे, ज्यादा मार पड़ी क्योंकि वह छः फुट से भी ज्यादा लंबे थे। उस वक्त जो चोटें उनको आई उनके सबब से बहुत अरसे तक उन्हें इतना दर्द और तकलीफ रही कि वह कमर भी सीधी नहीं कर सकते थे और न कुछ ज्यादा कामकाज ही कर सकते थे।"

पंतजी ने 1930 में सविनय अवज्ञा आंदोलन में भाग लिया और जेल काटी। 1931 में वह उत्तर प्रदेश भूमि सुधार समिति के अध्यक्ष बनाए गए। उन्होंने जमींदारी उन्मूलन और भूमि सुधारों का गंभीर अध्ययन किया और एक महत्वपूर्ण रिपोर्ट तैयार की। 1934 में वह अखिल भारतीय कांग्रेस संसदीय बोर्ड के सचिव नियुक्त किए गए। इसी वर्ष वह केन्द्रीय विधान सभा के लिए चुने गए जहां राजाजी, सत्यमूर्ति और भूलाभाई देसाई उनके सहयोगी थे। पंतजी को केन्द्रीय विधान सभा संसदीय दल का उप नेता बनाया गया। पन्तजी के बारे में एक बार वित्त सदस्य सर जेम्सग्रिग ने कहा था, "कांग्रेस पक्ष में राजाजी और पंतजी सर्वोत्तम वक्ता हैं।" केन्द्रीय गृह सदस्य हेनरी क्रेक के साथ पंतजी की अक्सर नोक-झोंक होती थी। उन्होंने एक बार कहा था , "मैं पंडित पंत के पैने तर्कों एवं संवादों से जितना घबराता हूं, उतना केन्द्रीय विधान सभा के सौ सदस्यों के सवालों एवं तर्कों से भी नहीं घबराता।"

बाद में जब 1935 में भारत सरकार अधिनियम के अंतर्गत प्रांतों में चुनाव हुए तो पंतजी संयुक्त प्रांत विधान सभा के लिए खड़े हुए। ग्यारह राज्यों में से छः में कांग्रेस को पूर्ण बहुमत मिला। सात मार्च 1937 को पंतजी संयुक्त प्रांत विधान सभा कांग्रेस दल के नेता चुने गए। 17 जुलाई, 1937 को उन्हें संयुक्त प्रांत के मुख्यमंत्री पद की शपथ दिलाई गई।

संयुक्त प्रांत में (आज का उत्तर प्रदेश) पंतजी ने अपने मुख्यमंत्रित्व काल में कल्याणकारी राज्य स्थापित करने की चेष्टा की। उन्होंने 1910 में सरकार द्वारा जारी एक पुरानी पुस्तिका को रद्द कराया जिसमें भारतीय और अंग्रेज अधिकारियों के बीच भेदभाव बरतने की सीख दी गई थी। उनके मंत्रिमंडल का एक उल्लेखनीय कार्य उत्तर प्रदेश काश्तकारी अधिनियम 1939 पास कराना था। इसमें जोत की अवधि की अधिक सुरक्षा, सरकारी एजेंसी द्वारा लगान निर्धारण और अनेक बुराइयों को दूर करने की व्यवस्था थी।

उधर यूरोप में युद्ध के बादल मंडराने लगे थे। 3 सितम्बर 1939 को ब्रिटेन ने जर्मनी के विरुद्ध युद्ध की घोषणा कर दी। इसी दिन वाइसराय ने बिना किसी से सलाह लिए जर्मनी के विरुद्ध युद्ध की घोषणा कर दी। 23 अक्तूबर को कांग्रेस कार्य समिति ने कांग्रेस मंत्रिमंडलों से त्यागपत्र देने को कहा। 27 अक्तूबर को पंतजी ने संयुक्त प्रांत विधान सभा में युद्ध स्थिति पर एक प्रस्ताव रखा। इस प्रस्ताव में कहा गया था, "वर्तमान युद्ध के उद्देश्यों को पूरा करने और भारतीय जनता का सहयोग लेने के लिए यह आवश्यक है कि लोकतंत्र के सिद्धांत भारत में भी लागू किये जाएं।

हम न केवल भारत की आजादी के लिए बल्कि विश्व भर में लोकतंत्र की रक्षा के लिए वचनबद्ध हैं।" प्रस्ताव पर बहस पूरी होने के बाद 30 अक्तूबर 1939 को पंतजी ने त्यागपत्र दे दिया।

अगले वर्ष उन्होंने विनोबाजी के नेतृत्व में शुरू किए गए व्यक्तिगत सविनय अवज्ञा आंदोलन में भाग लिया। अगस्त 1942 के पहले सप्ताह में बम्बई में अखिल भारतीय कांग्रेस समिति की बैठक हुई जिसमें गांधीजी का ऐतिहासिक "भारत छोड़ो" प्रस्ताव पास कर दिया गया। 9 अगस्त को गांधीजी को और पंतजी सहित कांग्रेस कार्यसमिति के सभी सदस्यों को अहमदनगर किले में नजरबन्द कर दिया गया। जेल में पंतजी का स्वास्थ्य लगातार खराब रहा। मार्च 1945 के अंत में पंतजी खराब स्वास्थ्य के कारण छोड़ दिए गए। पंतजी 21-22 जून को बम्बई में कांग्रेस कार्यसमिति की बैठक में और बाद में शिमला सम्मेलन में शामिल हुए। देश की राजनीतिक समस्याओं के समाधान के लिए जिन्ना के साथ बातचीत करने वाले कांग्रेस दल के पन्तजी भी सदस्य थे।

26 जुलाई 1945 को ब्रिटेन में लेबर पार्टी सत्ता में आ गई। दो सप्ताह बाद जापान ने आत्म समर्पण कर दिया। 19 सितम्बर को यह घोषणा की गई कि ब्रिटेन की सरकार जल्दी से जल्दी संविधान-निर्मात्री परिषद् की स्थापना करना चाहती है और चुनाव के नतीजों का पता लगाने के बाद वाइसराय कार्यकारी परिषद् का गठन करेंगे। 12 से 18 सितम्बर तक पूना में और फिर 21 से 22 सितम्बर तक बम्बई में कार्यसमिति की बैठक हुई। कांग्रेस ने चुनाव में भाग लेने का निश्चय किया।

1946 में पंत मंत्रिमंडल ने सत्ता ग्रहण की। पंतजी उस समय 58 वर्ष के थे। चेलापति राव के शब्दों में उनमें व्यक्तियों एवं परिस्थितियों के ऊपर उठने की अद्भुत क्षमता थी। वह पूर्व-पश्चिम के सर्वोत्तम गुणों के मिलन में विश्वास करते थे।

15 अगस्त 1947 को देश को आजादी मिली। उसी के साथ उसे बंटवारे, साम्प्रदायिक दंगों और आबादी की अदला-बदली जैसी जटिल समस्याओं का सामना करना पड़ा। पंतजी ने साम्प्रदायिक दंगों को सख्ती से दबाया और संयुक्त प्रांत में बड़े हिस्से को साम्प्रदायिकता की आग में झुलसने से बचाया। उन्होंने पाकिस्तान से आए विस्थापितों को तेजी से बसाया। उनकी सबसे बड़ी सफलता यह थी कि उन्होंने कुल मिलाकर प्रशासन को साम्प्रदायिकता से मुक्त रखा।

पंतजी के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश में अनेक क्रांतिकारी कदम उठाए गए। 1952 में जमींदारी प्रथा समाप्त कर दी गई। इस समय बिचौलियों की समाप्ति जरूरी थी। ग्राम पंचायतों की भी स्थापना की गई। पंतजी ने ग्रामीण क्षेत्रों के समग्र विकास के लिए एक अमरीकी वास्तुविद अलबर्ट मायर के जरिए इटावा पाइलट परियोजना शुरू की। बाद में उसी के आधार पर सारे देश में सामुदायिक विकास योजनाएं चलाई गईं। उन्होंने उत्तर प्रदेश में सार्वजनिक क्षेत्र में एक सीमेंट कारखाना और जापान के सहयोग से एक सूक्ष्म यंत्र कारखाना शुरू करवाया। उन्होंने उत्तर प्रदेश में ग्रामीण आवास योजना जैसी अन्य अनेक प्रगतिशील योजनाएं चलाई।

पंतजी को केन्द्रीय मंत्रिमंडल में शामिल करने और वित्तमंत्री बनाने की चर्चा पहली बार 1950 में की गई। 1954 में रफी अहमद किदवई की मृत्यु के बाद नेहरूजी ने पंतजी को केन्द्रीय मंत्रिपरिषद् में शामिल होने का निमंत्रण दिया।

पंतजी ने 3 जनवरी 1955 को मंत्री के रूप में शपथ ग्रहण की। 15 फरवरी को उन्हें गृहमंत्री बना दिया गया। शीघ्र ही अपनी योग्यता और सूझबूझ से उन्होंने संसद, सरकार और पार्टी के भीतर अपने लिए विशिष्ट स्थान बना लिया। 1956 में उन्होंने भारी उद्योग विभाग का अतिरिक्त भार भी संभाला।

पंतजी ने एक अवसर पर कहा था, "मेरा काम स्वतंत्रता का विस्तार करना है।" उनके कार्यकाल में प्रेस (आपत्तिजनक सामग्री) अधिनियम 1957 को बढ़ाया नहीं गया, कोड़े लगाने की अमानुषिक प्रथा समाप्त कर दी गई। पुरस्कार वर्ग पहेली जैसी तिकड़मी योजनाएं समाप्त कर दी गई। पन्तजी सचमुच भारत रत्न थे। उनकी अभूतपूर्व सेवाओं के उपलक्ष्य में उन्हें 1957 में भारत रत्न के सर्वोच्च अलंकरण से सम्मानित किया गया।

आवश्यक सेवाएं बनाए रखने संबंधी अधिनियम पर बोलते हुए 5 अगस्त 1957 को उन्होंने कहा था कि सभी सरकारी कर्मचारी अभी यह नहीं समझते हैं कि वे जनता के नौकर हैं और जनता उनकी मालिक है। मैं सचमुच यह सोचता हूं और मैंने कई बार ऐसा कहा भी है — अगर सरकारी कर्मचारी मालिक और नौकर के उस रिश्ते को

समझ लें तो हमारी कई समस्याएं हल हो जायें।

गृहमंत्री के रूप में राज्य पुनर्गठन और राजभाषा अधिनियम पास कराने के लिए पंतजी को सदैव याद रखा जायेगा। उन्होंने जिस तरह राज्य पुनर्गठन विधेयक को संसद में पास कराया उसका दूसरा उदाहरण मिलना कठिन है।

राज्य पुनर्गठन के अलावा पंतजी को राजभाषा की समस्या का भी सामना करना पड़ा। संविधान सभा ने हिन्दी को भारत की राजभाषा का पद अवश्य दे दिया था किंतु इसके साथ-साथ अंग्रेजी के इस्तेमाल की छूट दे दी थी और यह भी व्यवस्था कर दी थी कि उसकी पांच और दस वर्ष बाद फिर समीक्षा की जायेगी। पंतजी ने बड़ी सूझबूझ से संसद की राजभाषा समिति का गठन कराया। उनके मार्गदर्शन में समिति ने हिन्दी राजभाषा की आवश्यकता और क्षेत्रीय आकांक्षाओं के बीच संतुलन का चमत्कारिक कार्य बखूबी किया।

20 फरवरी, 1961 को पन्तजी अशोक सेन को राष्ट्रपति के अभिभाषण पर उत्तर देने के बारे में अंग्रेजी में कुछ बता रहे थे कि उनको घातक दिल का दौरा पड़ा। उनकी नजर धुंधली हो गई। वे हिन्दी में बोलने लगे। उनकी यादाश्त गड़बड़ाने लगी। उन्होंने अपने को स्थिर तथा नियंत्रित करने का प्रयत्न किया और अपने पुत्र तथा पौत्र को बुलवाया। उनके मुंह से कुमाउंनी में अस्फुट शब्द निकल रहे थे।

पंतजी अचेत हो गए। देश के चोटी के डाक्टरों ने उनका उपचार किया। उनके मित्र, बंगाल के मुख्यमंत्री और सुप्रसिद्ध चिकित्सक डा. विधान चन्द्र राय ने उनके कान में कहा "उठो गोविन्द बल्लभ"। कुछ समय तो लगा कि उनके शरीर ने कुछ हरकत की किन्तु फिर सभी कुछ शान्त हो गया वह दो सप्ताह तक मौत से जूझते रहे। मौत को दूर रखने के लिए उन्होंने अनवरत संघर्ष किया। अन्ततः 7 मार्च 1961 को उनकी दिव्य आत्मा ब्रह्म में लीन हो गई।

उनकी मृत्यु पर पंडित नेहरू ने कहा था "वह स्वतंत्रता संग्राम के महान सेनानी थे। स्वतंत्रता के बाद उन्होंने योग्यता से सरकार का नेतृत्व किया। वह बुद्धिमान सलाहकार थे। वह मातृभूमि के सच्चे सेवक थे और हमेशा जनता की प्रगति और भलाई के लिए प्रयत्नशील रहे।"

22, मैत्री अपार्टमेंट्स
ए-3, पश्चिम विहार, नई दिल्ली

माटी भी बन जाती सोना

डा. राकेश अग्रवाल

श्रम के फूल खिला देने से
महके धरती का हर कोना
स्वेद बिन्दु बिखरा देने से
माटी भी बन जाती सोना।

श्रम से ऊंचे महल बने हैं,
श्रम से ही उद्योग खड़े हैं,
श्रम से नदियों को मोड़ा फिर
मन चाहे उपयोग किये हैं।

श्रम के गीत गुंजा देने से
मिट जाता जादू टोना,
स्वेद बिन्दु बिखरा देने से
माटी भी बन जाती सोना।

श्रम से नभ में पहुंच रहे हैं,
श्रम से जल में खोज रहे हैं,
खेतों से खलिहानों तक-
श्रम के अंकुर फूट रहे हैं।

श्रम के दीप जला देने से
खिल उठता कोना कोना,
स्वेद बिन्दु बिखरा देने से
माटी भी बन जाती सोना।

"हिमदीप" राधापुरी
हापुड़ (उ.प्र.)

लिफ्ट सिंचाई योजनाएं : किसानों के लिए वरदान

श्याम सुन्दर जोशी

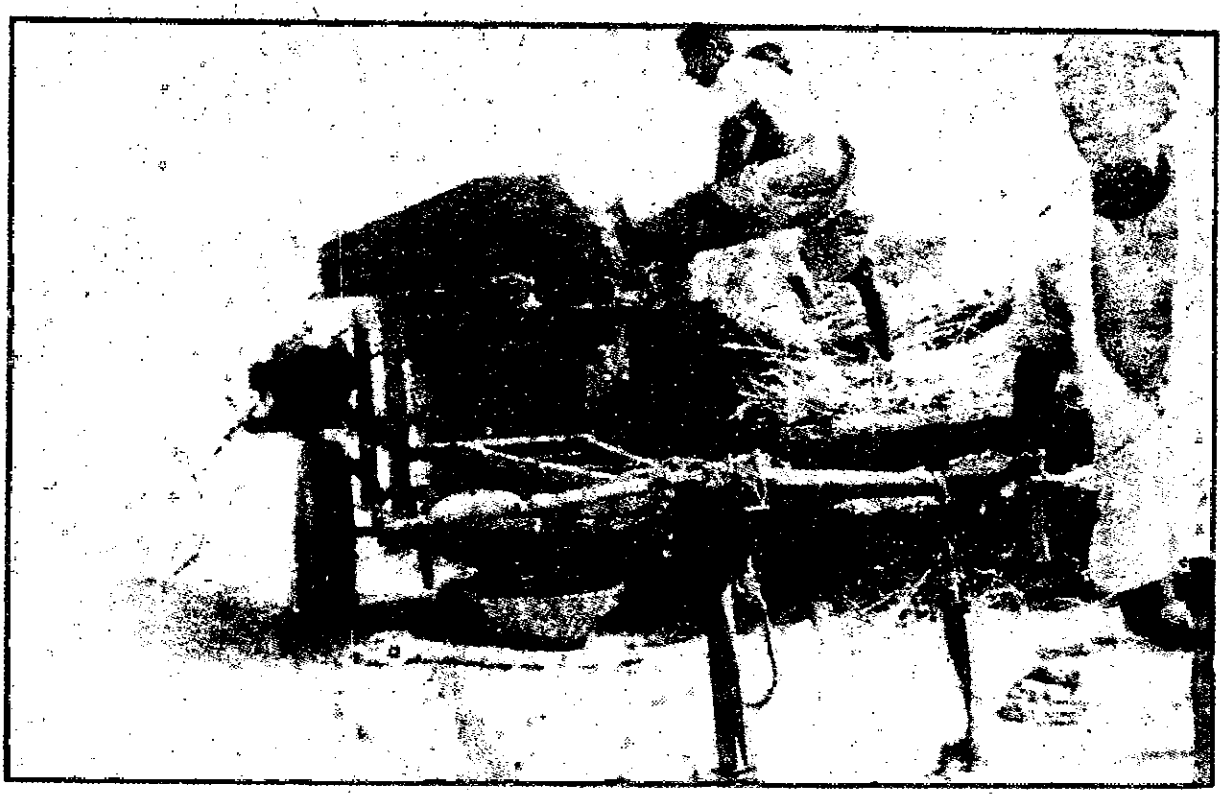

लिफ्ट सिंचाई योजना से खाद्यान्न उत्पादन में वृद्धि

कृषि उत्पादन में वृद्धि हेतु सिंचाई स्रोतों का विस्तार करने के उद्देश्य से भीलवाड़ा जिले में स्थापित सामुदायिक लिफ्ट सिंचाई योजनायें आज कास्तकारों के लिये वरदान साबित हो रही हैं। इन सिंचाई योजनाओं का ही प्रताप है कि जिस बंजर धरती पर कभी झाड़-झंखाड़ उगा करते थे उसी जमीन पर आज हरे-भरे लहलहाते खेत देखे जा सकते हैं तथा जिन लोगों के घरों में केवल पेट भरने तक को ही अनाज उपलब्ध था, वहां आज अन्न के भण्डार भरे पड़े हैं।

लिफ्ट सिंचाई योजनाओं के मामले में भीलवाड़ा जिला राज्य के अन्य जिलों के मुकाबले काफी धनी रहा है। जिला ग्रामीण विकास अभिकरण द्वारा गत छः वर्षों की अल्पावधि में स्थापित 26 सिंचाई योजनाओं से एक नये कीर्तिमान का सृजन हुआ है। जिले में सर्वप्रथम वर्ष 1981 के दौरान सिंगपुरा लिफ्ट सिंचाई योजना प्रारम्भ हुई, जिसकी सफलता के बाद तो जिले में साल-दर-साल नित नई योजनायें स्थापित करने का एक क्रम ही शुरू हो गया, जो आज भी जारी है। वर्तमान में इन सिंचाई योजनाओं से जिले के 1000 से अधिक कृषक लाभान्वित हो रहे हैं तथा 1,949 एकड़ भूमि में सिंचाई क्षमता का विकास हुआ है।

पूर्णतया सहकारिता के आधार पर संचालित होने वाली इन सामुदायिक लिफ्ट सिचाई योजनाओं में कम से कम 10 कृषक सदस्यों का होना अनिवार्य है। इनमें 50% से अधिक लघु व सीमान्त काश्तकार होते हैं। मेसिव योजना के तहत लघु व सीमान्त कास्तकारों को उनके खर्च के अनुपात में सौ प्रतिशत तक अनुदान देय होता है तथा

एकीकृत ग्रामीण विकास कार्यक्रम में पचास प्रतिशत तक एवं माडा योजनान्तर्गत अनुसूचित जनजाति के ऐसे कृषकों को 40 प्रतिशत तक आर्थिक अनुदान सुलभ कराया जाता है। अनुदान के अलावा बाकी धनराशि हेतु बैंकों से साढ़े दस प्रतिशत वार्षिक ब्याज की दर से ऋण दिया जाता है जिसका भुगतान सात वर्षों की अवधि में करना होता है।

आर्थिक समृद्धि की प्रतीक इन लिफ्ट-सिंचाई योजनाओं के परिणामस्वरूप किसानों की माली हालत में आये आमूल-चूल परिवर्तन को जानने के लिये यहां जिले की सिर्फ दो सिंचाई योजनाओं की झलक ही पर्याप्त होगी।

खटवाड़ा लिफ्ट सिंचाई योजना

भीलवाड़ा जिले की माण्डलगढ़ पंचायत समिति के खटवाड़ा ग्राम के निकट बहने वाली बेड़च नदी के अथाह जल भण्डार का सदुपयोग करने हेतु वर्ष 1985-86 में यह सिंचाई योजना प्रारम्भ की गई। योजना के तहत नदी के ढावे पर स्थापित बीस-बीस हार्सपावर के 6 विद्युत पम्प सेटों से पानी को लगभग चालीस मीटर की ऊंचाई तक लिफ्ट कर डेढ़ किलोमीटर लम्बी पाइप लाइन द्वारा वितरण टैंक तक पहुंचाया जाता है। वितरण टैंक से यह पानी पक्के धोरों एवं नालियों द्वारा किसान के खेत में पहुंचता है।

लगभग 6,25,000 रुपयों की लागत वाली इन सिंचाई योजना के लिये जिला ग्रामीण विकास अभिकरण द्वारा 3,00,000 रुपयों का अनुदान उपलब्ध कराया गया तथा बाकी 3,15,000 रुपये भीलवाड़ा-अजमेर क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की बल्न्दवी शाखा से स्वीकृत किये गये। इस योजना के खटवाड़ा ग्राम के 96 कृषक लाभान्वित हो रहे हैं। खटवाड़ा लिफ्ट सिंचाई योजना से आई खुशहाली के बारे में गांव के सरपंच श्री नन्द कुमार आचार्य ने बताया कि इस वर्ष पहली बार रबी फसल हेतु उपलब्ध कराये गये पानी से 670 बीघा से अधिक भूमि में सिंचाई संभव हो पाई है। अतिरिक्त भूमि में सिंचाई सुविधा का विस्तार होने से जहां पहले इस क्षेत्र में वर्ष भर में केवल 80,000 रुपयों की फसल ही पैदा हो पाती थी वहां इस रबी फसल में ही करीब 3,500 क्वि. गेहूं की पैदावार हुई जिसकी बाजार कीमत 6,40,000 रुपये है।

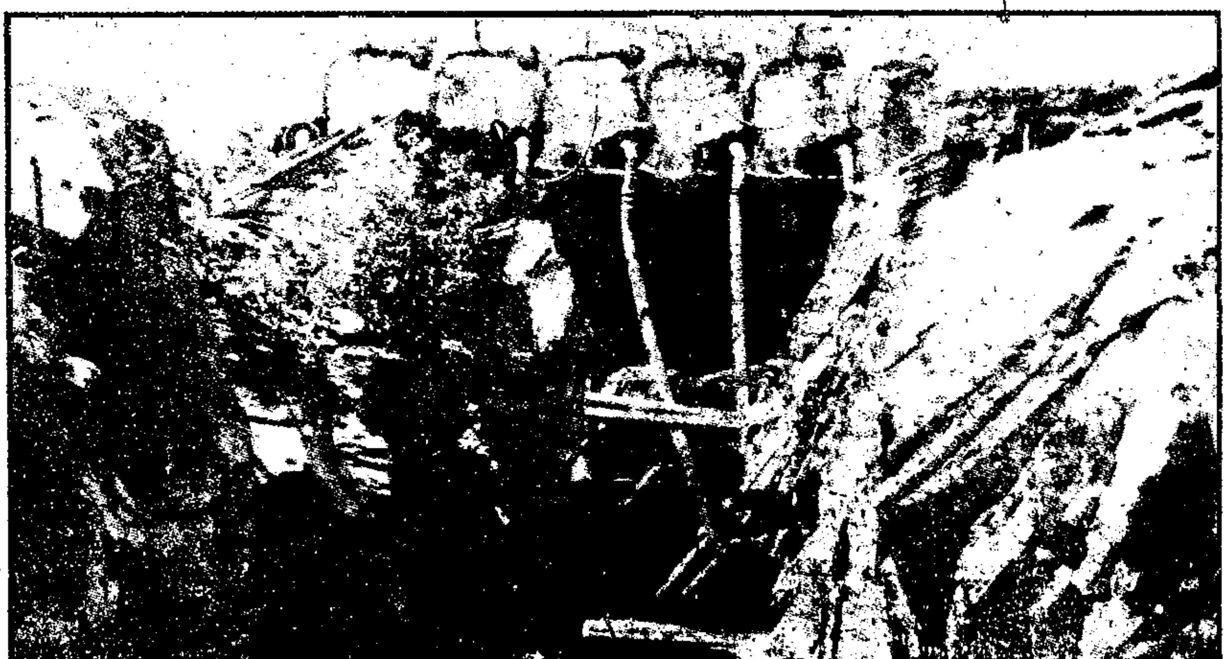

खटवाड़ा लिफ्ट सिंचाई योजना

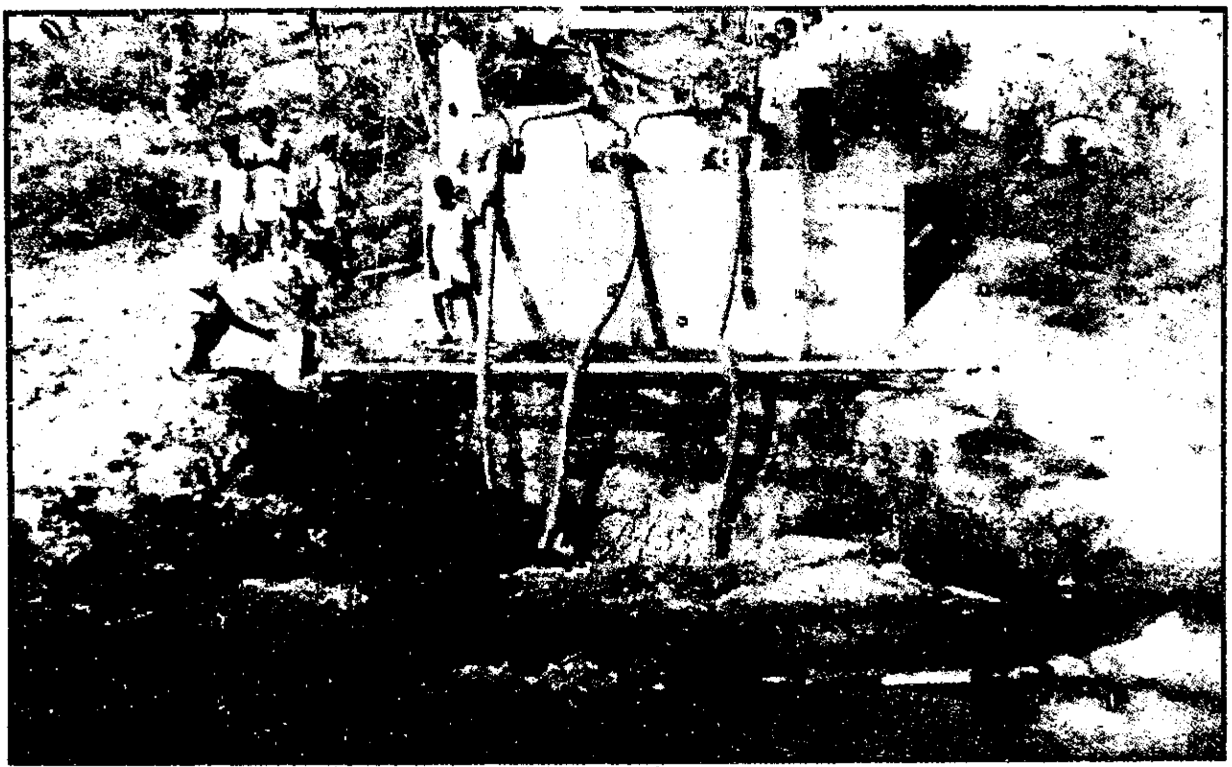

बीलिया लिफ्ट सिंचाई योजना

इस सिंचाई योजना से लाभान्वित होने वाले काश्तकारों में से एक साठ वर्षीय बालू कीर का कहना है — "पहले इस धरा पर झाड़ियों के अलावा कुछ नहीं था। अब इसकी काया पलट गई। यहां मेरी बीस बीघा जमीन से लगभग सौ बोरी से अधिक अनाज पैदावार हुई है। सच पूछो तो मेरी तकदीर ही बदल गई है।"

एक अन्य किसान 35 वर्षीय देवीलाल सुखवाल, जो एक पांव से विकलांग हैं, अपनी छह बीघा भूमि से उत्पादित अनाज में से आधा बेच कर एक मोपेड घर ले आया। अब उसको खेत तक जाने के लिए बैसाखियों की जरूरत नहीं रहती। यह सुविधा उसे लिफ्ट सिंचाई योजना ने ही तो दी।

बीलिया लिफ्ट सिंचाई योजना

इसी पंचायत समिति क्षेत्र में बहने वाली बनास नदी पर गत दिसम्बर माह में प्रारम्भ की गई 'बीलिया लिफ्ट सिंचाई योजना' के भी सुखद परिणाम देखने को मिले हैं। 2,22,000 रुपयों की लागत वाली इस योजना के लिए जिला ग्रामीण विकास अभिकरण द्वारा 98,000 रुपयों का अनुदान उपलब्ध करवाया गया तथा बाकी धनराशि बैंक ऑफ राजस्थान की काछोला शाखा द्वारा ऋणस्वरूप सुलभ कराई गई। यह जिले की सबसे सस्ती लिफ्ट सिंचाई योजना है जिस पर औसतन प्रति बीघा मात्र 560 रुपये ही खर्च हुए।

लगभग चार-पांच सौ बीघा कृषि भूमि की सिंचाई क्षमता वाली इस योजना के पहले चरण में 250 क्विटल अनाज का उत्पादन हुआ। इस योजना से क्षेत्र के 65 किसान लाभान्वित हो रहे हैं। जिनमें 45 लघु एवं सीमान्त कृषक हैं। यहां स्थापित बीस-बीस हॉर्स पावर वाले तीन विद्युत चलित वाटर पम्पों से बनास नदी के पानी को लिफ्ट कर काश्तकारों के खेतों तक पहुंचाया जा रहा है।

इन दोनों सिंचाई योजनाओं की सफलता की कहानी दर्शाती है कि भीलवाड़ा जिले में लिफ्ट सिंचाई योजनाओं की स्थापना से सिंचाई के क्षेत्र में जो क्रांति आई है, उससे जहां एक ओर बंजर भूमि का कृषि कार्यों के लिए उपयोग संभव हुआ है वहीं खाद्यान्न उत्पादन में आशातीत वृद्धि होने से किसान पहले से अधिक संपन्न एवं समृद्ध हुए हैं। □

द्वारा-राम लाल टेलर
182, वकील कॉलोनी
भीलवाड़ा-311001
(राजस्थान)

भारत में भूमि सुधार

निरमल दास माहेश्वरी, निदेशक भूमि सुधार

भारत मूलतः ग्रामीण एवं कृषि प्रधान देश है। भूमि स्वामित्व ग्रामीण अर्थ-व्यवस्था, समृद्धि तथा सामाजिक जीवन की धुरी है। आयोजना काल के आरम्भ से ही "भूमि सुधार" को :–

कृषि उत्पादकता में सुधार; तथा ग्रामीण क्षेत्रों में जन मानस को इसके लाभों का अधिकाधिक वितरण करने के साधन के रूप में मान्यता दी गई थी। यह अनुभव किया गया था कि भूमि सुधार में पुर्नसगठनात्मक तथा पुनः वितरक पहलुओं को शामिल किया जाना चाहिए। भूमि सुधार की राष्ट्रीय नीति का मूल उद्देश्य यह है कि जमीन जोतने वाला ही भूमि का स्वामी हो।

2. प्रथम पंचवर्षीय योजना

उपरोक्त नीति की पृष्ठ भूमि में प्रथम पंचवर्षीय योजना में निम्नलिखित उल्लेख हैं :–

1) सामन्तवादी प्रथा को हटाकर उसके स्थान पर रैयतवाड़ी पद्धति अपनाना; 2) राजस्व एकत्र करना; 3) भू-अभिलेखों का रख-रखाव; 4) काश्तकारी अधिकारों की सुरक्षा; 5) सहकारी खेती को बढ़ावा देना; 6) जोतों की चकबन्दी, और 7) सामाजिक-आर्थिक, कृषि, जलवायु तथा अन्य बातों को ध्यान में रखते हुए अधिकतम सीमा निर्धारित करके भूमि जोतों के आकार की एक निश्चित सीमा निर्धारित करना।

3. स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात् भूमि सुधार के संबंध में निम्न कार्यक्रम अपनाए गये हैं :–

1) बिचौलिया काश्तकारी का उन्मूलन;
2) काश्तकारी सुधार;
क) लगान का विनिमयन; ख) काश्तकारों तथा बटाईदारों को काश्तकारी अधिकारों की सुरक्षा प्रदान करने का प्रावधान; तथा ग) स्वामित्व के अधिकार दिलाना;
3) क) कृषि जोतों पर भूमि की अधिकतम सीमा निर्धारण; तथा ख) भूमिहीन कृषि मजदूरों तथा छोटे भूमि धारकों को फालतू भूमि का वितरण;
4) जोतों की चकबन्दी; तथा
5) भू-अभिलेखों का अद्यतिकरण एवं रखरखाव।

4. भूमि सुधार उपायों की चर्चा करने से पूर्व यह स्पष्ट करना आवश्यक है कि भूमि संविधान की अनुसूची सात में राज्य सरकारों का विषय है। यह अनुसूची सात में राज्य सूची की मद संख्या 18 है। अतः केंद्रीय सरकार राज्य सरकारों से परामर्श कर राष्ट्रीय नीति ही निर्धारित कर सकती है किन्तु उसके कार्यान्वयन का उत्तरदायित्व तो अनिवार्य रूप से राज्य सरकारों का ही है। केन्द्रीय सरकार कार्यान्वयन की निगरानी करती है तथा आवश्यकतानुसार उनका ध्यान आकृष्ट कर सकती है किन्तु उन्हें ऐसा करने के लिए मजबूर नहीं कर सकती।

5.1 राज्यों में भूमि सुधार कार्यक्रम का कार्यान्वयन राजस्व विभाग द्वारा होता है। कुछ राज्यों में विभागाध्यक्ष के रूप में राजस्व बोर्ड तथा जिला स्तर पर कलक्टर/उपायुक्त सहित राजस्व प्रभागों के इंचार्ज के रूप में मंडलीय आयुक्त, सब डिवीजन स्तर पर सब-डिवीजनल अधिकारी, तहसील स्तर पर ताल्लुकदार/तहसीलदार, नायब तहसीलदार, कानूनगो से लेकर अन्य छोटे राजस्व कर्मचारियों के रूप में लेखपाल पटवारी/तलाटी/करनम हैं।

5.2 सामान्य प्रशासन में राजस्व स्टाफ को विशेषकर चुनावों के आयोजन, प्राकृतिक आपदाओं के समय राहत कार्यों, कानून तथा व्यवस्था, विकास गतिविधियों, परिवार नियोजन, राष्ट्रीय बचत आदि जैसे कार्यों में अधिक से अधिक लगाया जा रहा है। परिणामस्वरूप भूमि सम्बंधी कानूनों के कार्यान्वयन, भू-सर्वेक्षण, बन्दोबस्त, भूमि अभिलेखों का रख-रखाव और उन्हें अद्यतन बनाने, भूमि के मामलों के शीघ्र निपटान, दाखिल-खारिज आदि कार्यों की ओर पूरा ध्यान नहीं दिया जा रहा है।

5.3 जब सर्वेक्षण तथा बन्दोबस्त, जमींदारी उन्मूलन, कृषि जोतों पर अधिकतम सीमा लगाने, जोतों की चकबन्दी आदि जैसे विशेष कार्यक्रम आरम्भ किए गए थे, उस समय अलग से विशेष स्टाफ नियुक्त किया गया था। कार्य का अधिकांश भाग पूरा हो जाने पर ऐसे विशेष स्टाफ को हटा दिया गया है।

5.4 पहले जब मालगुजारी (भू-राजस्व) राज्य की वित्तीय

आय का एक मुख्य स्रोत होता था, राजस्व विभाग को महत्वपूर्ण विभागों में माना जाता था किन्तु अधिकांश राज्यों में छोटी जोतों के लिए भू-राजस्व की छूट दे देने व आय के अन्य स्रोत बन जाने से इसका महत्व कम होता गया है।

5.5 अधिकतर राज्यों में राजस्व विभाग और भूमि सुधार की योजनाएं गैर-योजना व्यय में आती हैं अतः भूमि सुधार के व्यय को गैर-विकासात्मक व्यय माना जाता है।

6. विभिन्न भूमि सुधार कार्यक्रमों के कार्यान्वयन की समीक्षा इसी पृष्ठभूमि में करनी चाहिए।

7. 1947 में जब अंग्रेजों ने भारत छोड़ा, भूमि व्यवस्था मोटे तौर पर निम्नलिखित दो विभिन्न पद्धतियों के अंतर्गत थी :—

क) जमींदारी अथवा बिचौलिया काश्तकारी पद्धति

ख) उत्तर-पूर्वी भारत के अधिकांश भागों में सामुदायिक स्वामित्व को छोड़कर रैयतवाड़ी पद्धति।

जमींदारी पद्धति में तथा जागीर इनाम आदि के अंतर्गत किसी समय 100 गांवों से अधिक की बड़ी-बड़ी रियासतें थीं, जिन पर वे स्वयं कभी-कभार खेती करते थे। वे अधिकांशयता काश्तकारों, उप-काश्तकारों, बटाईदारों, मजदूरों आदि से खेती करवाते थे और उनका शोषण करते थे। जमींदार प्रशासनिक और न्यायिक शक्तियों का प्रयोग करते थे। इसमें उन्हें अंग्रेजों का संरक्षण प्राप्त था।

रैयतवाड़ी पद्धति में भूमि कृषि वर्गों की थी।

8. देश का लगभग 40 प्रतिशत क्षेत्र इन सामन्तवादी काश्तकारी के अन्तर्गत था तथा सभी तरह की व्यापक और शोषण करने वाली काश्तकारी पद्धति प्रचलित थी।

बिचौलिया काश्तकारी का उन्मूलन

9. राष्ट्रीय मुक्ति आन्दोलन के दौरान भारत के करोड़ों गरीब लोगों जिन्होंने स्वतंत्रता संग्राम में भाग लिया और असंख्य कष्ट झेले ऐसा मुख्य रूप से इसलिए किया क्योंकि उनका विचार था कि भावी पीढ़ियां राजनीतिक स्वतंत्रता भी लाएंगी। चूंकि, जमींदारों ने अंग्रेजों का साथ दिया, इसलिए हमारे नेताओं, जो अंग्रेजों के खिलाफ लड़ रहे थे, जब देश की बागड़ोर सम्भाली, जमींदारी को समाप्त करने का वचन दिया। परिणामस्वरूप जमींदारी को समाप्त करने के लिये विधान बनाए गए। इनकी वैधता को न्यायालयों में चुनौती दी गई। इन कानूनों की वैधता की गारंटी के लिये अनेक बार इनमें संशोधन कर उनका कार्यान्वयन किया गया।

10.1 हालांकि, कुल मिलाकर बिचौलिया काश्तकारी को देशभर में समाप्त कर दिया गया है, फिर भी, स्वतंत्रता के 40 वर्ष बाद अभी यह कहने की स्थिति नहीं आई है कि अब कुछ शेष नहीं है। 18 राज्यों/केन्द्र शासित क्षेत्रों में बिचौलिया काश्तकारी को समाप्त करने सम्बन्धी कुछ न कुछ कार्य अभी शेष है।

10.2 छह राज्यों/केन्द्र शासित क्षेत्रों, अंडमान निकोबार द्वीप समूह, अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, मिज़ोरम, नगालैण्ड तथा सिक्किम में कोई बिचौलिया काश्तकारी नहीं थी।

10.3 केवल 7 राज्यों/केन्द्र शासित क्षेत्रों अर्थात असम, हरियाणा, मध्य प्रदेश, पंजाब, दादरा व नागर हवेली, दिल्ली, चंडीगढ़ में कोई कार्य अवशेष नहीं है।

10.4 महाराष्ट्र में देव-स्थान इनामों, गोवा, दमन तथा दीव में कम्यूनीडेडस, उड़ीसा में सेवा जागीरों आदि को समाप्त करने वाले कानून अभी भी बनाए जाने हैं। आन्ध्र प्रदेश, गुजरात, राजस्थान आदि में न्यायालयों द्वारा स्थगन आदेश जारी करने अथवा बिचौलिया काश्तकारियों को अस्थगित रखने, संबंधित न्यायालयों में संशोधन संबंधी कानूनों के लम्बित पड़े रहने के कारण कुछेक बिचौलिया काश्तकारियों को समाप्त करने का काम रुका हुआ है। बिहार, त्रिपुरा, जम्मू तथा कश्मीर, मेघालय में मुआवज़े के निर्धारण/भुगतान से संबंधित कार्य और उत्तर प्रदेश के कुछेक क्षेत्रों में बिचौलिया काश्तकारी के उन्मूलन का काम अभी बाकी रहता है। इन सभी कामों को सातवीं योजना के अन्त तक पूरा करने का प्रयास किया जा रहा है।

10.5 अभी तक बिचौलिया काश्तकारियों को समाप्त करने के लाभ के बारे में कोई प्रमाणिक और पूर्ण आंकड़े उपलब्ध नहीं हैं, फिर भी, ज़मींदारी उन्मूलन के निम्नलिखित परिणाम रहे हैं :—

क) 2 करोड़ काश्तकारों के राज्य के सीधे सम्पर्क में आने का अनुमान है।

ख) मध्यम श्रेणी के स्वयं कृषि कार्य करने वाले किसानों का एक वर्ग उभरा है, जो मुख्य रूप से अपने निजी पारिवारिक श्रम से भूमि पर कृषि कार्य करता है।

ग) विभिन्न प्रकार की श्रेणियों की भूमि, बंजर भूमि, वनों और खेती करने योग्य परती भूमि का काफी क्षेत्र राज्य में निहित हो गया है।

घ) लगभग 6 करोड़ हैक्टेयर निहित भूमि भूमिहीनों तथा बहुत ही कम भूमि वाले व्यक्तियों में वितरित की गई। □

(क्रमशः)

ग्रामीण विकास के चार दशक

सी.पी. लक्ष्मणन्

देश के ग्रामीण क्षेत्र में पिछले चालीस वर्षों में गरीबी दूर करने के उपायों के क्या परिणाम मिले हैं इनका अनुमान लगाने से पहले हमें यह देखना होगा कि स्वाधीनता से पहले गांवों में दशा कितनी खराब थी। अंग्रेजी शासन ने गांवों की तरफ कभी ध्यान नहीं दिया। अंग्रेजों ने अपने माल की बिक्री के लिये हमारे कुटीर उद्योगों को तहस-नहस कर डाला। अपने स्वार्थ की पूर्ति के लिये जोतों की परम्परा को छिन्न-भिन्न कर दिया। ग्रामीण गरीबों की संख्या बढ़ती चली गयी। उन्हें रोटी, मकान और कपड़े जैसी मूलभूत आवश्यकतओं का मोहताज बना दिया गया।

स्वाधीनता संग्राम के दौरान महात्मा गांधी तथा जवाहर लाल नेहरू तथा अन्य शीर्ष नेताओं ने देशवासियों को बार-बार याद दिलाया कि भारत गांवों में बसता है तथा इनकी स्थिति सुधारे बिना हमारा स्वराज पूर्ण नहीं होगा। स्वाधीनता प्राप्ति के बाद सरकार ने ग्रामीणों की शोचनीय दशा सुधारने के उपाय आरंभ किये।

सामुदायिक विकास कार्यक्रम

यह कार्यक्रम 1952 में प्रारंभ किया गया और इसके माध्यम से व्यवस्थित तथा समन्वित ग्रामीण विकास प्रणाली विकसित करने का लक्ष्य तय किया गया। उद्देश्य यह था कि गांवों में सामाजिक-आर्थिक जीवन में परिवर्तन लाकर उसे बेहतर बनाया जाये। सामुदायिक विकास कार्यक्रम के तहत गांवों में आधारभूत विस्तार एवं विकास सेवाओं का जाल बिछा कर गांवों में विकास की संभावना तथा इसके उपायों के बारे में चेतना पैदा करने के प्रयास किये गये। पहली बार खंड स्तर पर पशुपालन व सार्वजनिक स्वास्थ्य जैसे क्षेत्रों में विशेषज्ञों की देखरेख में ग्राम सेवकों को नियुक्त करके गांवों की दशा सुधारने की शुरूआत की गयी। दुनिया में यह एक अभूतपूर्व प्रयोग था जो बेहद कारगर साबित हुआ।

पंचवर्षीय योजनाओं में अधिक खर्च का प्रावधान करके अनेक ग्रामीण क्षेत्रों में सामाजिक-आर्थिक विकास के लिये संस्थागत ढांचे को न केवल सुनिश्चित बल्कि मजबूत बनाया गया। लेकिन सन् सत्तर के दशक में इन तमाम उपायों की समीक्षा से पता चला कि विकास कार्यक्रमों का अधिकांश लाभ गांवों में उपरी स्तर के लोगों के ही हिस्से में जा रहा है। इस पर सरकार ने ऐसे कार्यक्रम बनाये जिनसे विशेष रूप से छोटे व सीमांत किसानों, भूमिहीनों तथा खेतिहर मजदूरों को लाभ मिले। इसके अंतर्गत 1971 में लघु किसान विकास एजेंसी बनायी गयी और इसका कार्यक्षेत्र 1810 खंडों तक विस्तृत था। सत्तर के दशक के मध्य में सूखे से पीड़ित रहने वाले क्षेत्रों के लिये विशेष विकास कार्यक्रम शुरू किया। इसी दशक के अंत में रेगिस्तानी इलाके के विकास के लिये कार्यक्रम चलाया गया। काम के बदले अनाज देने का कार्यक्रम 1977 में आरंभ किया तथा इसके अंतर्गत गांवों के गरीब लोगों को खासकर काम के अभाव वाले दिनों में काम सुनिश्चित किया गया। पहाड़ी व आदिवासी क्षेत्रों में जैसे कम साधनों वाले अविकसित इलाकों के विकास के लिये विशेष उप-योजनायें बनाकर क्षेत्रीय विकास असुन्तलन दूर करने के प्रयास किये गये। पिछड़े इलाकों में उद्योग लगाने के लिये विशेष वित्तीय सहायता, आसान शर्तों पर ऋण और अन्य सहायता की व्यवस्था की गयी। ग्रामीण क्षेत्रों में शिक्षा, स्वास्थ्य, पीने के पानी और बिजली की सप्लाई, सड़क निर्माण और मकान के लिये जगह जैसी मूल सुविधाएं निश्चित अवधि के भीतर उपलब्ध कराने के लिये न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम चलाया गया।

गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम

वैसे तो ग्रामीण विकास के विशेष कार्यक्रम सत्तर के दशक से चल रहे हैं लेकिन गरीबी दूर करने के विशेष कार्यक्रम राष्ट्रीय स्तर पर छठी पंचवर्षीय योजना में आरंभ किये गये। इस योजना में कहा गया कि "गरीबी को काफी हद तक तभी दूर किया जा सकता है जब सबसे गरीब वर्ग के लाभ और उपभोग के लिये आय के पुनर्वितरण का काम निष्ठापूर्वक व एकाग्रता के साथ किया जाये। इसके लिए यह जरूरी है कि विकास नीति में आय व खपत का पुनर्वितरण प्रभावी ढंग से हो ताकि सीमा रेखा से नीचे की आबादी का प्रतिशत 1994-95 तक घटकर 10 प्रतिशत से कम हो जाये।" सातवीं योजना में भी यह निश्चय दोहराया गया। बीस-सूत्री कार्यक्रम 1986 में भी इस लक्ष्य की पुनरावृत्ति हुई जिसमें कहा गया कि "गरीबी के विरूद्ध संघर्ष हमारी पहली प्राथमिकता है।"

प्रमुख माध्यम

समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम गरीबी दूर करने की नीति का प्रमुख माध्यम है। इसका उद्देश्य यह है कि चुने हुये गरीब परिवारों को उत्पादक सहायता के जरिये गरीबी की रेखा से ऊपर लाया जाये। यह सहायता नगद राशि, बैंक ऋण आदि के रूप में वित्तीय सहायता के जरिये उपलब्ध करायी जाती है।

यह सुनिश्चित किया जाता है कि सहायता प्राप्त परिवारों में कम से कम 30 प्रतिशत अनुसूचित जातियों व जनजातियों के हों। विकास प्रक्रिया में महिलाओं की अधिक भागीदारी के लिये यह तय किया गया कि लाभान्वित व्यक्तियों में से कम से कम 30 प्रतिशत महिलायें हों।

स्वरोजगार के लिये ग्रामीण युवक प्रशिक्षण योजना में मुख्य जोर इस बात पर दिया जाता है कि 18 से 35 वर्ष के ग्रामीण युवाओं को ऐसा प्रशिक्षण दिया जाये कि वे कृषि और सम्बद्ध कार्यों, उद्योग, सेवाओं व व्यापार का खुद कोई काम-धंधा शुरू करने योग्य बनें। अनुसूचित जातियों और जनजातियों, भूतपूर्व सैनिकों और राष्ट्रीय प्रौढ़ शिक्षा कार्यक्रम के अंतर्गत नौ महीने का प्रशिक्षण प्राप्त युवाओं को इस योजना में प्राथमिकता दी जाती है।

यह महसूस किया गया कि महिलाओं को ग्रामीण विकास कार्यक्रमों का मामूली लाभ मिला है। इसलिये देश के 50 चुने हुये जिलों में प्रयोग के तौर पर ग्रामीण क्षेत्र में महिलाओं और बच्चों के विकास की एक योजना चलायी जा रही है। इससे गरीबी दूर करने के कार्यक्रमों में स्त्रियों को शामिल करने में बड़ी सहायता मिली है।

गरीबों की आय बढ़ाने का एक तरीका यह है कि उन्हें रोजगार उपलब्ध कराया जाये। राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम के तीन मूल उद्देश्य हैं :—

(1) ग्रामीण क्षेत्रों में बेरोजगार व कम रोजगार वाले लोगों को अतिरिक्त लाभकारी काम दिलाया जाये, (2) गांवों में आर्थिक व सामाजिक ढांचे को मजबूत बनाने में सहायक उत्पादक सामुदायिक साधन खड़े किये जायें, (3) गांवों में जीवन स्तर में कुल मिलाकर सुधार लाया जाये।

ग्रामीण भूमिहीन रोजगार का उद्देश्य यह है कि रोजगार के अवसरों का इस तरह विस्तार किया जाये कि प्रत्येक भूमिहीन श्रमिक परिवार के कम से कम एक सदस्य को साल में 100 दिन तक काम अवश्य मिले। इस कार्यक्रम का यह भी लक्ष्य है कि गांवों में उत्पादन सामुदायिक साधन खड़े किये जायें तथा वहां के जीवन स्तर में सुधार लाया जाये। इंदिरा आवास योजना भी इसी कार्यक्रम का अंग है। इसके अंतर्गत अनुसूचित जातियों व जनजातियों के लोगों तथा मुक्त कराये गये बंधुवा मजदूरों के लिये घर बनाये जाते हैं। सामाजिक तथा खेत बानिकी भी इस योजना का हिस्सा हैं।

भूमि सुधार

अब यह सिद्ध हो चुका है कि अधिक कृषि उत्पादन लेने और शोषण रहित सामाजिक ढांचा कायम करने के लिये भूमि सुधार एक अनिवार्य शर्त है। ग्रामीण विकास कार्यक्रम के प्रभावी कार्यान्वयन के लिये भी पुनर्वितरक भूमि सुधार आवश्यक है क्योंकि इन सुधारों के अंतर्गत भूमि के पुनर्वितरण से बड़ी संख्या में ग्रामीण भूमिहीनों को भूमि मिलती है जोकि उनके लिये न केवल एक लाभदायक सम्पत्ति है बल्कि वे इस पर आधारित काम व अन्य पूरक कमाई वाले कामकाज चला सकने योग्य भी बनते हैं।

सातवीं योजना में भूमि सुधार उपायों व गरीबी दूर करने के कार्यक्रमों में गहरा तालमेल रखा जा रहा है। भूमि सुधार नीति का उद्देश्य यह है कि (1) पट्टेदारी सुधारों के जरिये पट्टेदारों व बटाइदारों को सुरक्षा प्रदान की जाये और जोतों की चकबन्दी की जाये (2) छोटे व सीमांत किसानों को नयी कृषि तकनीक की जानकारी और सहायता तथा कृषि के लिए ऋण सुविधा का विस्तार करके कृषि के आधुनिकीकरण को बढ़ावा दिया जाये।

प्रतिकूल कृषि-मौसम परिस्थितियां

कृषि व मौसम की प्रतिकूल परिस्थितियों के कारण व आयी गरीबी को कम करने के लिए निम्नलिखित उपाय किये जा रहे हैं :—

सूखे की आशंका वाले क्षेत्रों के लिये कार्यक्रम के तहत इन क्षेत्रों में जल साधनों के उत्पादक उपयोग की परिस्थितियां बनायी जाती हैं, बारानी खेती को बढ़ावा दिया जाता है, मिट्टी और नमी को बचाये रखने के उपाय किये जाते हैं, जमीन के उचित इस्तेमाल तथा जल उपयोग, वानिकी, चरागाह व चारे के साधनों के विकास के जरिये पशुधन विकास, बागवानी विकास आदि को प्रोत्साहन दिया जाता है।

रेगिस्तान विकास कार्यक्रम अत्यंत शुष्क इलाकों के लिये है। इसके अंतर्गत रेगिस्तान को बढ़ने से रोकने, पर्यावरण संतुलन बहाल करने और स्थानीय लोगों की आर्थिक दशा में सुधार लाने वाली परिस्थितियां कायम करने

पर जोर दिया जाता है। इसके लिये पेड़ लगाने, सुस्ताने में सहायक पेड़-पौधे वाला स्थान विकसित करने, घास वाले स्थानों का विकास, रेत क्षेत्र के फैलाव को रोकने और कृषि, बागवानी, पशुधन के विकास तथा पानी के उचित उपयोग के उपाय किये जाते हैं।

कृषि विपणन

कृषि विपणन के लिये कृषि मंडियों का नियमन और विकास किया जाता है और कृषि पदार्थों तथा सम्बद्ध सामान का वर्गीकरण व मानकीकरण किया जाता है। इन उपायों से उत्पादकों को शोषण से बचाया जाता है और उनके उत्पादों के लिये लाभकारी मूल्य सुनिश्चित किया जाता है। कृषि उत्पादों का वर्गीकरण और मानकीकरण करने से एक ओर उपभोक्ताओं को अच्छा और सही सामान मिलता है व दूसरी ओर उत्पादकों को उनके सामान के हिसाब से सही दाम मिलते हैं। वर्गीकृत सामान व एगमार्क की मुहर लगती है।

गांवों में गोदाम मुख्यत: इसलिये बनाये जाते हैं ताकि किसान विशेषकर छोटे व सीमांत किसान मजबूरी में कम दाम पर अपना उत्पाद बेचने से बचें और उनकी उपज खेतों व घर के पास सुरक्षित पड़ी रहे।

ग्रामीण जल-आपूर्ति

सातवीं योजना के अंत तक समस्त ग्रामीण आबादी को पीने के पानी की सुरक्षित सप्लाई करने को उच्च प्राथमिकता दी जा रही है। उन गांवों पर सबसे पहले ध्यान दिया जा रहा है जहां पीने के पानी की गंभीर समस्या है। अनुसूचित जातियों व जनजातियों की बस्तियों के लिये पानी की सप्लाई सबसे पहले की जाती है।

समन्वित ग्रामीण सफाई कार्यक्रमों के अंतर्गत केंद्र द्वारा प्रायोजित ग्रामीण सफाई कार्यक्रम शुरू किया गया है। क्षेत्र को साफ रखने जैसे शौचालय, गंदे पानी सोखने वाले गड्ढे, नालियों के निर्माण व स्वास्थ्य शिक्षा आदि के उपाय किये जाते हैं। अनुसूचित जातियों व जनजातियों के लिये घर में ही शौचालय का प्रबंध किया जाता है।

पंचायती राज

पंचायती राज तीन चरणों वाली स्थानीय स्वशासी व्यवस्था है जो गांव, खंड व जिला स्तर पर होती है। पंचायती राज व्यवस्था 1959 में आरंभ की गयी। लेकिन कई राज्यों में स्थानीय परिस्थितियों के अनुसार दो चरणों वाली अथवा एक ही चरण वाली व्यवस्था है। गांवों में कृषि, ग्रामोद्योग का विकास, चिकित्सा सहायता, महिला व बाल कल्याण, चरागाह व रास्तों, तालाबों, कुओं की देखभाल – ये सब काम पंचायतों की जिम्मेदारी हैं। पंचायती राज संस्थाओं को ग्रामीण विकास कार्यक्रमों के लिये लाभार्थियों का पता लगाने की जिम्मेदारी भी सौंपी गयी है।

जन कार्य व ग्रामीण प्रौद्योगिकी प्रोत्साहन परिषद (कपार्ट) स्वैक्षिक व गैर-सरकारी एजेंसियों के माध्यम से कार्यरत है। इसका काम है (1) ग्रामीण विकास परियोजनाओं के कार्यान्वयन में स्वैच्छिक कार्य को बढ़ावा व सहयोग देना (2) नयी प्रौद्योगिकी के उपयोग पर जोर देकर ग्रामीण विकास के लिए स्वैच्छिक कार्यों को बढ़ावा देना (3) ग्रामीण विकास से सम्बद्ध प्रौद्योगिकी तैयार करने, उसका प्रचार-प्रसार करने के उपायों में तालमेल की राष्ट्रीय एजेंसी के रूप में काम करना।

राष्ट्रीय कार्य

ग्रामीण विकास कार्यक्रमों के कार्यान्वयन की नियमित रूप से समीक्षा की जाती है तथा इनमें आने वाली रुकावटों व समस्याओं का पता लगाकर इन्हें दूर करने के उपाय किये जाते हैं। इनके जरिये गरीबी कम करने में निश्चित रूप से बड़ी सफलता मिली है। छठी योजना के आरंभ में गरीबी की रेखा से नीचे की आबादी 48 प्रतिशत थी जो सातवीं योजना की शुरूआत पर घटकर 37 प्रतिशत रह गयी। आठवीं योजना के आरंभ होने तक यह 25 प्रतिशत हो जाने की आशा है।

ग्रामीण गरीबों की हालत सुधारने का काम सरकार अकेले नहीं कर सकती। गरीबी दूर करने के कार्यक्रमों की सफलता के लिये जनता का सहयोग बड़ा ही जरूरी है। इस काम में स्वैच्छिक संगठन व व्यापारी समुदाय महत्वपूर्ण योगदान कर सकते हैं।

हम अपने गांवों में सुविधाहीन और साधनहीन लोगों की अनदेखी नहीं कर सकते। गरीबी के खिलाफ अथक अभियान व सतत प्रयास पूरे जोरों से चलाने होंगे। यह एक राष्ट्रीय कार्य है। हर आंख से आंसू पोंछने के इस पुनीत कार्य में सबको योगदान करना है। □

अनुवाद : ओ.पी. वत्स
43, मैत्री अपार्टमेंट्स
ए-3, पश्चिम विहार
नयी दिल्ली-110 052

भीखू

शांति

किसी समय पिथौरागढ़ के पास एक गांव था। यह गांव पहाड़ी की तलहटी में बसा था। इसके चारों तरफ सीढ़ीनुमा खेत थे। यहां के लोगों का मुख्य धंधा खेती करना था। इसी गांव के एक किसान परिवार की यह कहानी है। इस परिवार में पांच भाई थे, जिनमें से चार बड़े भाई बहुत मेहनती थे, मगर सबसे छोटा भाई भीखू निरा आलसी था। बड़े चारों भाई सुबह होते ही खेतों में चले जाते थे, दिन भर हल चलाते नहर से खेतों में पानी सींचते, जानवरों को जंगल में चराते और शाम होने पर थके मांदे घर वापस लौट आते। मगर भीखू था कि सुबह होते ही अपनी बांसुरी लेकर जंगल की तरफ चला जाता और बांसुरी बजाते इधर-उधर घूमता रहता। शाम होने पर घर वापस लौट आता। यही उसकी दिनचर्या थी।

उसके भाई ही उसके परिवार का पालन करते थे। उसकी पत्नी दिन भर उसकी जेठानियों का काम करती, उनके बच्चों को नहलाती, खाना पकाती, सबको खिलाती बाद में जो कुछ बचता उसे अपने पति व बच्चों को देती थी। इतना सब करने पर भी जेठ, जेठानियों के ताने सुनती। वह कर भी क्या सकती थी? पति उसका निठल्लू था काम का न काज का। वह रोज अपने पति को कहती कि अपने भाइयों की तरह वह भी कुछ काम धंधा करे। इस तरह बैठे-बैठे परिवार का पालन नहीं हो सकता, मगर भीखू तो तेल का चुपड़ा था, उस पर कोई असर न होता। उसकी पत्नी बहुत दुखी रहती थी। उसके पास न तो खाने को अच्छा था न पहनने को। उसकी जेठानियां अच्छे-अच्छे कपड़े पहनतीं और अच्छा खातीं। वह तो उनकी उतरन पहनती और जूठन खा कर गुजारा करती थी। एक बार जेठानियों के तानों से परेशान होकर भीखू की पत्नी एक कुल्हाड़ी लेकर भीखू के पास आई और बोली तुम मेरा और मेरे बच्चों का पालन तो कर नहीं सकते इस तरह कब तक दूसरों के दिए टुकड़ों पर पलते रहेंगे। इसलिए तुम मुझे और मेरे बच्चों को इस कुल्हाड़ी से मार दो। यह कह कर वह रोने लगी। भीखू से पत्नी का रोना न देखा गया। दूसरे दिन सवेरा होते ही वह जंगल की तरफ चल दिया। उसने सोचा ढेर सारी लकड़ियां काटूंगा और उन्हें बेच कर अपने परिवार के खाने-पीने का इंतजाम करूंगा। जंगल में पहुंच कर वह लगा जोश से लकड़ियां काटने। शाम तक लकड़ियों का ढेर लग गया, मगर भीखू रुकने का नाम नहीं ले रहा था। वन देवता सोचने लगे – अगर इसे न रोका गया तो यह मेरा सारा वन ही तबाह कर देगा। वह भीखू के सामने प्रकट हुए और बोले, "भीखू तुम यह क्या कर रहे हो? तुमने तो मेरे वन की शांति भंग कर दी। बोलो क्या चाहते हो? तुम जो चाहोगे तुम्हें मिलेगा, मगर एक शर्त पर। आइंदा तुम इस तरह वन की शांति भंग नहीं करोगे।" भीखू हाथ जोड़ कर बोला, "महाराज मैं एक गरीब किसान हूं, मेरे पास रहने को एक छोटा-सा घर है। तुम मेरे घर को महल-सा बना दो और उसे धन से भर दो जिससे मेरी पत्नी और मैं आराम से जिंदगी काट सकें। मैं कसम खाता हूं कि फिर कभी तुम्हें तंग नहीं करूंगा।" "जैसा तुम चाहते हो वैसा ही होगा" यह कह कर वन देवता अन्तर्धान हो गए।

भीखू अपनी कुल्हाड़ी कंधे पर रख कर घर वापस आ गया। वहां उसने देखा, उसके मकान की जगह एक महल खड़ा है। उसकी पत्नी व बच्चे अच्छे वस्त्र पहने थे। अपने परिवार को खुश देख कर उसे बहुत प्रसन्नता हुई। उस दिन के बाद से उसमें भी परिवर्तन आ गया अब वह भी पहले की तरह निकम्मा नहीं बैठा रहता था। उसके घर में किसी भी चीज की कमी न थी। वह अपने भाइयों से ज्यादा सम्पन्न हो गया था और सुख पूर्वक रह रहा था। उसके भाई और भाभियां यह सब देख कर आश्चर्यचकित रह गए। उनकी समझ में नहीं आ रहा था कि भीखू को अचानक यह गड़ा खजाना कहां से मिल गया। कुछ दिनों के बाद जब जेठानियों से न रहा गया तो वे सब उसके घर गईं और उसकी पत्नी से बोलीं, "तुम्हारे घर को देखकर हमें बहुत खुशी हो रही है। लगता है देवरजी भी कुछ काम धंधा करने लगे हैं। मगर बता तो सही कि इतना धन मिला कहां से? भीखू की पत्नी सीधी-साधी थी। उसने अपनी सम्पन्नता का राज बता दिया।

प्रातः होते ही उन सभी ने पतियों से कहा – तुम लोग भी देवरजी की तरह जंगल में जाकर वन देवता से वरदान मांगो जिससे हम भीखू की तरह ही अमीर हो जाएंगे। इतना कहना ही था कि भीखू के भाई जंगल गए और लगे कुल्हाड़ी से जंगल के पेड़ गिराने। वन देवता वन की इस तबाही से फिर विचलित हुए। उन्होंने सोचा, भीखू लालच में कुछ और भी मांगना चाहता है इसलिए और लोगों को भी साथ लाया है। वन देवता प्रकट हुए और उन्होंने क्रोधित होकर श्राप दिया, तुम सब लोग मेरे साम्राज्य की शांति भंग करने आए हो इसलिए तुम सबका नाश हो जाए। उनका इतना कहना था कि भीखू के चारों भाई वहीं ढेर हो गए। □

47, पटौदी हाउस
कैनिंग रोड
नई दिल्ली-110001

सफल कहानी

सहयोग से सफलता

10 माह पूर्व 17 सदस्यों से गठित बीकानेर विश्वकर्मा फर्नीचर उत्पादक सहकारी समिति लिमिटेड ने अपना कार्य 26,800/- रु. से प्रारंभ किया। यह सहकारी समिति 50,000/- रु. प्रतिमाह का उत्पादन कई महीनों से कर रही है। इससे समिति का अब कुल कच्चे-पक्के माल का मूल्य लगभग एक लाख आंका गया है।

इस समिति का पंजीकरण 30 अगस्त, 1986 को हुआ था। इस समिति के गठन की भी एक दिलचस्प कहानी है। समिति के सचिव श्री रामप्रसाद शर्मा, बीकानेर खादी भण्डार में कार्य करते थे। उनको अच्छा वेतन मिलता था। किसी कारणवश उन्होंने एवं उनके 15 सहकर्मियों ने खादी भण्डार से अपने आपको अलग कर लिया। बाद में उन्हीं सहकर्मियों के अनुरोध पर श्री शर्मा ने एक समिति का गठन किया एवं उसका पंजीकरण कराया।

इस समिति का प्रत्येक सदस्य एक कुशल कारीगर है। समिति के अध्यक्ष श्री सुखदेव सुथार भी उत्पादन कार्य में हाथ बंटाते हैं। इस समिति के सभी सदस्य उत्पादन बढ़ाने में अपना सहयोग प्रदान करते हैं। इस प्रकार इस उत्पादन समिति में बाहर के मजदूर न होकर स्वयं सदस्य ही मजदूरी करते हैं और दोहरा लाभ कमाते हैं। पहला लाभ तो उन्हें उत्पादन की मजदूरी के रूप में मिलता है और दूसरा लाभ वे समिति के उत्पादन की बिक्री पर होने वाले लाभ से अपने शेयर के लाभांश के रूप में कमाते हैं।

समिति के सचिव श्री रामप्रताप शर्मा ने बताया कि इस समिति का उत्पादन लगभग रु. 50,000/- प्रति माह तक पहुंच गया है और लगभग इतनी बिक्री भी हो जाती है। श्री शर्मा के अनुसार समिति का सारे खर्च निकालने के बाद लाभांश लगभग 10% है। चूंकि सारे सदस्य कारीगर हैं अतः प्रत्येक सदस्य लगभग 50/- रु. प्रतिदिन अपनी मजदूरी की एवज में लेता है। साथ ही लगभग 5 हजार की कुल बचत समिति के उत्पादन की बिक्री से हो जाती है जो प्रत्येक सदस्य में अपनी शेयर पूंजी के अनुसार बंट जाती है।

कच्चा माल कुछ उधार और कुछ नकद प्राप्त कर लिया जाता है। लकड़ी स्थानीय व्यापारियों से उधार मिल जाती है तो हार्डवेयर दिल्ली से मिल जाता है। श्री शर्मा ने बताया कि हमारा माल गुणवत्ता और साज सज्जा, दोनों ही तरह से उच्च कोटि का होता है।

समिति के सचिव ने बताया कि वर्तमान उत्पादन को हम और बढ़ायेंगे। आगे से लकड़ी के उत्पादन के अलावा स्टील के उत्पादन को भी शुरू करने का विचार है। समिति को अपने माल की सप्लाई करने में भी कोई परेशानी नहीं हो रही है। माल सप्लाई के लिए समिति का पंजीकरण स्टेट बैंक से हो चुका है और सेन्ट्रल परचेज़ आर्गनाइजेशन से भी वार्ता हुई है।

मात्र 10 माह की 'शिशु' इस समिति के पांव पालने में ही नजर आ गये हैं कि यह आगे ही आगे बढ़ती जायेगी। समिति के सचिव ने बताया कि हमारी समिति में अन्य सदस्यों का भी स्वागत है और आगे हम उत्पादन बढ़ाने के लिए मजदूरों को भी रोजगार उपलब्ध कराने की सोच रहे हैं। □

घनश्याम मीणा
क्षेत्रीय प्रचार निदेशालय
क्षेत्रीय प्रचार अधिकारी
बीकानेर

समेकित बाल विकास कार्यक्रम

रीता पाल

बच्चे राष्ट्र की अमूल्य धरोहर हैं। राष्ट्र की प्रगति के लिए इनका संरक्षण और बहुमुखी विकास आवश्यक है तभी राष्ट्र की नींव मजबूत हो सकती है। हमारे देश में 14 वर्ष की आयु तक के बच्चों की कुल जनसंख्या लगभग 27.20 करोड़ है अर्थात् कुल जनसंख्या का 39.7 प्रतिशत बच्चे हैं। देश में स्वस्थय, सुशिक्षित एवं जिम्मेदार भावी पीढ़ी के निर्माण के लिए इन बच्चों के सर्वांगीण विकास पर विशेष ध्यान देना जरूरी है।

बच्चों के हितों के संरक्षण और उनके उचित पालन-पोषण को बढ़ावा देने के लिए सरकार ने 1974 में "राष्ट्रीय बाल नीति" की घोषणा की थी। इस नीति के अन्तर्गत बच्चों को देश की "सबसे महत्वपूर्ण शक्ति" मानते हुए इनके पालन-पोषण और देखभाल की जिम्मेदारी सरकार को सौंपी गई।

बच्चों की कुल जनसंख्या में से एक तिहाई बच्चे आर्थिक और सामाजिक दृष्टि से कमजोर हैं। इस नीति का उद्देश्य सभी बच्चों विशेषकर कमजोर वर्गों के बच्चों के कल्याण और उचित विकास पर विशेष ध्यान देना है।

बच्चों के कल्याण कार्यक्रमों को सुव्यवस्थित और सुचारू रूप से चलाने के उद्देश्य से ही लगभग एक दशक पूर्व शुरू की गई समेकित बाल विकास सेवा योजना एक ऐसा सफल और महत्वपूर्ण योजना है जो राष्ट्र के जनजीवन विशेषकर बच्चों के कल्याण के लिए प्रभावी सिद्ध हुई है। यह योजना आज 20 प्रतिशत से अधिक गरीब बच्चों को पोषण आहार, प्रारम्भिक स्वास्थ्य सेवा और स्कूल पूर्व शिक्षा उपलब्ध करा रही है। इस योजना का उद्देश्य 1990 तक 40 प्रतिशत बच्चों को और इस शताब्दी के अन्त तक प्रत्येक गांव के प्रत्येक गरीब बच्चे का उत्थान कर उसका कायाकल्प करना है।

उत्तरोत्तर विस्तार

वर्ष 1975-76 इस योजना को 33 ग्रामीण एवं पिछड़े क्षेत्रों में प्रायोगिक आधार पर शुरू किया गया था ताकि गरीब परिवार के बच्चों के लिए स्वास्थ्य, पूरक पोषाहार और स्कूल जाने से पहले की अनौपचारिक शिक्षा की व्यवस्था की जाए, जिससे वे एक बेहतर जीवन की शुरूआत कर सकें। इन प्रयोगात्मक परियाजनाओं के सकारात्मक परिणामों के आधार पर छठी योजनावधि में इस कार्यक्रम का विस्तार किया गया। 1979-80 तक इन परियोजनाओं की संख्या बढ़ कर 150 कर दी गई और छठी पंचवर्षीय योजना के दौरान 869 परियोजनाएं स्वीकृत की गई। 1985-86 और 1986-87 के दौरान 460 और परियोजनाएं स्वीकृत की गई हैं। इस प्रकार इनकी संख्या में निरन्तर वृद्धि होती जा रही है और अब इनकी कुल संख्या 1611 तक पहुंच गई है। इनमें से 1180 परियोजनाएं केन्द्र सरकार द्वारा प्रायोजित हैं तथा अन्य राज्य एवं केन्द्र शासित क्षेत्रों द्वारा 1987-88 के दौरान 230 और परियोजनाएं स्वीकृत किये जाने का प्रस्ताव है।

इस कार्यक्रम का मूल्यांकन विभिन्न अध्ययनों द्वारा करने पर ज्ञात हुआ है कि इससे तीन वर्ष तक की आयु वर्ग से कम उम्र के बच्चों में सुधार होना शुरू हो गया और पोषाहार तथा स्वास्थ्य सेवा से भी वे लाभान्वित होने लगे हैं। इसके सकारात्मक परिणामों को ध्यान में रखते हुए ही इस कार्यक्रम को और अधिक विस्तृत और सुदृढ़ बनाने के उद्देश्य से इसके लिए निर्धारित राशि में बढ़ोतरी की गई है। छठी योजनावधि में जहां इस कार्यक्रम के लिए 45

करोड़ रुपये की व्यवस्था की गई थी वहीं सातवीं योजनावधि में इसकी राशि बढ़ाकर 500 करोड़ रुपये कर दी गई है।

आंगनवाड़ी

समेकित बाल विकास सेवा योजना का केन्द्र बिन्दु है – आंगनवाड़ी। यह एक ऐसा केन्द्र है जो बच्चों के स्वास्थ्य, पोषण और उनके सम्पूर्ण मानसिक विकास का आधार बनाने में सहायक है। प्रत्येक ग्राम में अथवा गंदी बस्तियों के वार्ड में सामान्यतः एक हजार की जनसंख्या के पीछे एक आंगनवाड़ी और आदिवासी क्षेत्रों में 700 की जनसंख्या के पीछे एक आंगनवाड़ी होती है। गांव के स्थान और जनसंख्या के आधार पर स्थानीय आवश्यकताओं के अनुसार आंगनवाड़ियों की संख्या बढ़ाई भी जा सकती है। इसे संचालित करने की जिम्मेदारी एक आंगवाड़ी कार्यकर्ता की होती है जो उस समुदाय की स्वैच्छिक महिला कार्यकर्ता होती है और उसे तीन माह का प्रशिक्षण दिया जाता है। उसकी सहायता के लिए सहायिका होती है। आंगनवाड़ी कार्यकर्ता को कार्य की देखरेख मुख्य सेविका करती है। प्रत्येक बाल विकास परियोजना का प्रभारी एक बाल विकास परियोजना अधिकारी होता है।

प्रत्येक आंगनवाड़ी में महिला कार्यकर्ता मां को बच्चों के विकास और उसे रोग से बचाने के लिए शिक्षित करने के साथ ही साथ टीका लगाने और विटामिन 'ए' का वितरण, छोटी-मोटी बीमारियों का इलाज और बच्चे के पोषाहार संबंधी दायित्वों की जानकारी मां को देती है। सभी आंगनवाड़ी केन्द्र छह वर्ष से कम आयु के बच्चों को स्कूल पूर्व शिक्षा और अन्य रचनात्मक कार्य सिखाते हैं। वर्ष 1986 के अंत तक 1,21,161 आंगनवाड़ियां 93.14 लाख बच्चों और गर्भवती महिलाओं तथा दूध पिलाने वाली माताओं को पूरक पोषाहार और 1,25,381 आंगनवाड़ियां 43.27 लाख बच्चों को अनौपचारिक स्कलू पूर्व शिक्षा दे रही थीं।

समेकित बाल विकास सेवा का उद्देश्य छः वर्ष की आयु तक के बच्चों के पोषाहार तथा स्वास्थ्य में सुधार लाना, बच्चे के उचित मानसिक, शारीरिक और सामाजिक विकास के लिए आधार तैयार करना, मृत्यु दर, रुग्णता, कुपोषण और स्कूल छोड़े जाने की घटनाओं को कम करना, बाल विकास को बढ़ावा देने के लिए विभिन्न विभागों के बीच नीति और कार्यान्वयन का प्रभावी समन्वय स्थापित करना और बच्चे की सामान्य स्वास्थ्य और पोषाहार संबंधी जरूरतों की देखभाल के लिए उचित पोषाहार और स्वास्थ्य शिक्षा के माध्यम से माताओं को सुशिक्षित करना है।

उपलब्धियां

समेकित बाल विकास सेवा योजना बच्चों के कल्याण के लिए प्रभावी सिद्ध हुई है। इस कार्यक्रम की सफलता इसी से पता चलती है कि प्रति वर्ष इससे लाभान्वित होने वाले बच्चों की संख्या में वृद्धि हो रही है और प्रतिवर्ष इसके अन्तर्गत परियोजनाओं की संख्या बढ़ाई जा रही है। इस योजना को कार्यान्वित करने वाले क्षेत्रों में बाल कुपोषण दर में 60 प्रतिशत की कमी आई है और बाल मृत्यु दर में भी गिरावट आई है। प्रति हजार जन्में बच्चों में जहां राष्ट्रीय मृत्यु दर 114 है वहीं इन क्षेत्रों में मृत्यु दर 90 है। बच्चों को समय पर टीके लगवाने और स्कूल में प्रवेश पाने वाले बच्चों की दर में वृद्धि हुई है और बीच में ही स्कूल छोड़कर जाने वाले बच्चों की संख्या में कमी आई है।

पूरक पोषाहार खर्च को छोड़कर केन्द्र द्वारा प्रायोजित समेकित बाल विकास सेवा परियोजनाओं का पूरा खर्च केन्द्र सरकार द्वारा वहन किया जाता है। उपहार के रूप में खाद्य सामग्री और केन्द्रीय प्रायोजित गेहूं पर आधारित पोषाहार कार्यक्रम के अन्तर्गत प्राप्त होने वाले पूरक पोषाहार को छोड़कर अन्य पूरक पोषाहार का खर्च राज्य सरकारों द्वारा वहन किया जाता है। संयुक्त राष्ट्र बाल कोष (यूनिसेफ) परामर्श सेवा, प्रशिक्षण, संचार, आपूर्ति, उपकरण, अनुसंधान और मूल्यांकन के क्षेत्र में समेकित बाल विकास सेवा कार्यक्रम के लिए सहायता प्रदान करता है। 'नार्वे एजेंसी फार डवलपमेंट' उत्तर प्रदेश के तीन जिलों में 22 समेकित बाल विकास परियोजनाओं को सहायता दे रहा है। सु.एस.ए.आई.डी. गुजरात के पंचमहल जिले में 11 समेकित बाल विकास सेवा परियोजनाओं को और महाराष्ट्र के चन्दपुरी जिले में 10 समेकित बाल विकास परियोजनाओं को सहायता दे रहा है। तमिलनाडु की कुछ पूरक पोषाहार परियोजनाओं के लिए 'केयर' और विश्व खाद्य कार्यक्रम की सहायता का भी उपयोग किया जा रहा है।

गरीबी के विरुद्ध राष्ट्रीय अभियान के एक भाग के रूप में बाल विकास सेवा परियोजनाएं बच्चों के सर्वांगीण विकास कार्य में संलग्न हैं। □

गागर पर गागर धरीं दूर-दराज
ग्रामीण युवती पानी लाती हुई।
बच्चों को स्वच्छ कुओं के पानी
नल से पानी भरती ग्रामीण महि
सरकार द्वारा हर गली में हैंड पम

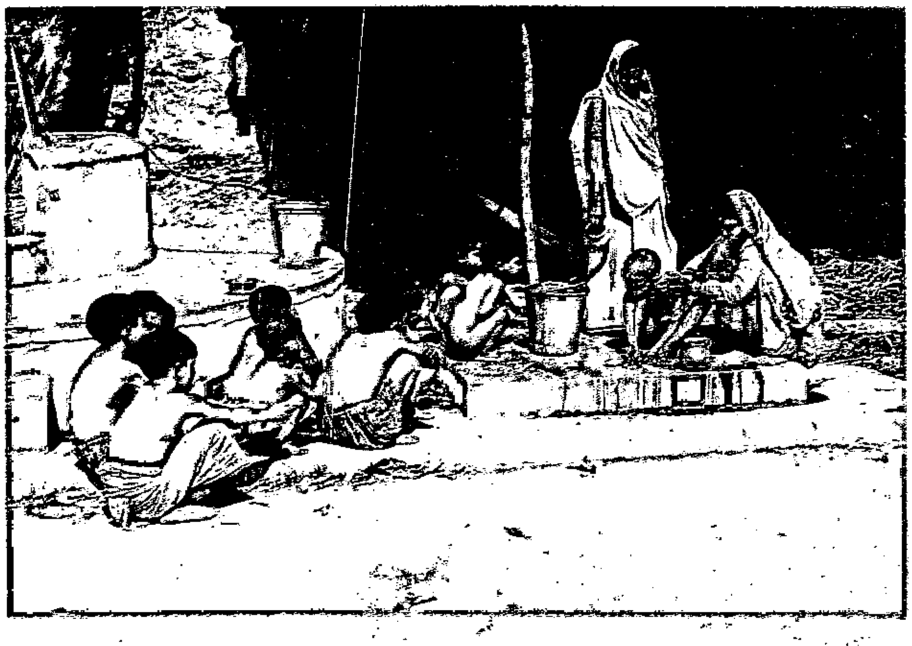

जल लाती हुईं ग्रामीण महिलाएं

माताएं

स्था।

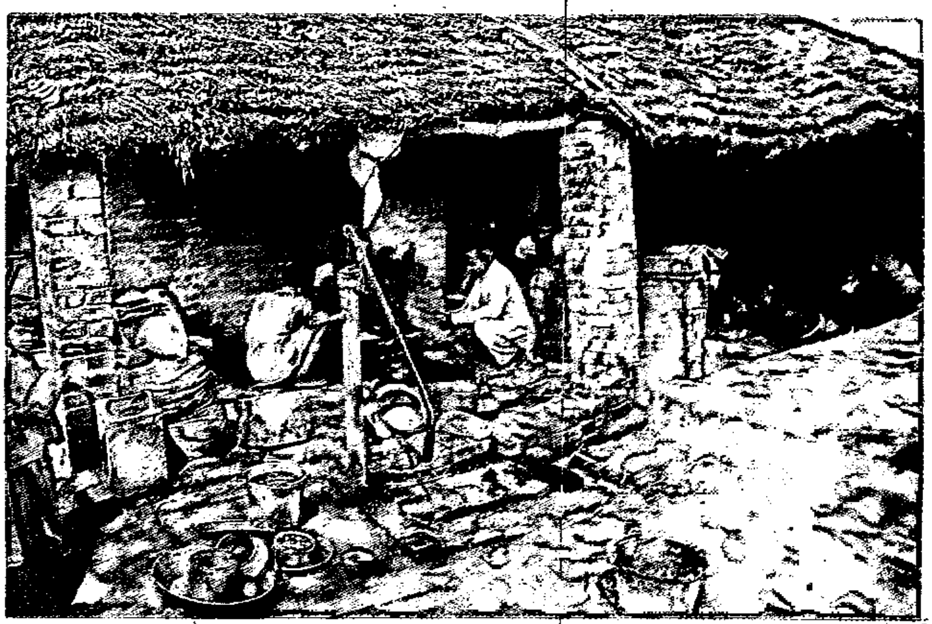

राजस्थान के आदिवासी – बहुत कुछ बदला है बहुत कुछ बदल रहा है

प्रभात कुमार सिंघल

चार दशाब्दियों पूर्व की बात है जब राजस्थान के आदिवासियों को बाहुल्य क्षेत्र में पगडंडियों से ही होकर आना-जाना पड़ता था। मोटर का तो नाम सुना भी न था। पैदल ही राह पार करनी होती थी। घास-फूस की टापरियों में रहते थे वनवासी। बीमारियों को ठीक करने के लिए झाड़-फूंक और ओझा-सयानों के चंगुल में जकड़े रहते थे। "अ" अक्षर ज्ञान की बात भी कहीं नजर नहीं आती थी। दुर्गम क्षेत्रों में पहुंचना भी कठिन होता था। बिजली कहीं थी नहीं। यह सब कुछ तो नहीं था पर आजीविका का एक बड़ा माध्यम सघन वन चहुं ओर थे। लघु वन उपज एकत्रित कर जो मिल जाता उसी में आदिवासी मस्त रहते थे। चालीस वर्ष बाद आज स्थिति में काफी बदलाव आया है और बदलाव की यह प्रक्रिया निरन्तर अबाध गति से चल रही है।

जो कुछ स्थितियां बदली हैं उनके बारे में एक आदिवासी धीरा का कहना है कि "आप ही देखिये आज आने-जाने के लिए सड़कों का जाल-सा बिछ गया है। कहां-कहां सड़कें नहीं हैं। दिन-भर में जो दूरी पैदल चल कर पार करते थे वह अब गांवों में आने वाली मोटरों में बैठकर कुछ ही घंटों में तय कर लेते हैं। आज गांव वाले शहर आने-जाने वाली मोटर का इन्तजाम करते हैं। गांवों में शिक्षा के लिए विद्यालय खुल गये हैं। बच्चे स्कूल जाने लगे हैं यह बात अलग है कि अभी इनकी संख्या उतनी नहीं बढ़ी है जितनी होनी चाहिए। धीरे-धीरे लोग पढ़ाई के बारे में सोचने लगे हैं। बीमार पड़ जायें तो गांव में या गांव के पास के अन्य गांव में बने चिकित्सालय में लोग अब जाने लगे हैं, धीरे-धीरे झाड़-फूंक की दुनिया से बाहर आ रहे हैं।"

धीरा के पास ही खड़े एक वृद्ध से भी जब बात की तो उसने भी अपने मन की बात बताते हुए कहा कि "पीने के पानी के लिए बावड़ियों एवं तालाबों के साथ-साथ कुओं के पानी पर निर्भर रहना पड़ता था, कुएं भी इतने कहां होते थे? आज गांवों में हैण्डपंप लगने लगे हैं, पीने के पानी के कुएं भी खुदे हैं। रात को रोशनी के लिए अब बिजली भी आ गई है। सिंचाई के जितने साधन अब होते जा रहे हैं, पहले कहां थे।"

इन लोगों के समान जब मैंने उदयपुर, बांसवाड़ा एवं डूंगरपुर के अनेक आदिवासियों से बातचीत की तो यह तथ्य उजागर हुआ कि आजादी के पश्चात वनवासियों के लिए जीवन यापन की मूलभूत सुविधायें तो मौजूद थीं, परन्तु शिक्षा, स्वास्थ्य, आवागमन एवं सिंचाई की पर्याप्त सुविधाओं का नितान्त अभाव था या यूं भी कहें कि ये सुविधायें नहीं के बराबर थीं। तो अतिशयोक्ति न होगी।

आजादी के पश्चात जब नियोजित विकास की प्रक्रिया पंचवर्षीय योजनाओं के माध्यम से प्रारंभ की गई तो सामान्य योजनाओं में आदिवासियों के विकास पर भी ध्यान केन्द्रित किया गया। कुछ समय पहले यह महसूस किया गया कि सामान्य कार्यक्रमों से अलग हटकर आदिवासियों के विकास के लिए पृथक संगठन कायम किया जाकर संगठित प्रयास किये जायें और दस वर्ष पूर्व जनजाति क्षेत्रीय विकास विभाग का गठन किया गया। जिसके जिम्मे राजस्थान के उदयपुर, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, सिरोही एवं चित्तौड़गढ़ में निवास करने वाले भील, गरासिया, डामोर एवं कथोड़िया आदि जनजातियों के आर्थिक उत्थान एवं विकास का दायित्व सौंपा गया। इन क्षेत्रों में 4,409 गांवों के 19,770 वर्ग कि.मी. क्षेत्रफल में 27.57 लाख जनसंख्या में 18.30

लाख अनुसूचित जनजाति के लोग निवास करते हैं। राज्य की एकमात्र आदिम जाति सहरियों के उत्थान के लिए एक पृथक उपयोजना के माध्यम से प्रयास आरम्भ किये गये। इनके अलावा भी राज्य के 13 जिलों में निवास करने वाले जनजाति परिवारों के उत्थान के लिए भी पृथक माडा कार्यक्रम बनाया गया है।

आदिवासियों के लिए बनाये गये इन पृथक संगठनों के माध्यम से अब तक सागड़ी उन्मूलन, राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, साहूकारी अधिनियम जैसे कानूनों द्वारा आदिवासियों का शोषण रोकने, मूलभूत सुविधाओं का विस्तार, शिक्षा, प्रशिक्षण तथा मानवीय संसाधनों का विकास, जीवन स्तर में गुणात्मक वृद्धि, एकीकृत ग्रामीण विकास, सूखा सम्भाव्य क्षेत्रीय कार्यक्रम, पेयजल, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें, यातायात एवं विद्युतिकरण के विस्तार में गुणात्मक सुधार तथा रोजगार के अवसर बढ़ाने के प्रयास किये गये हैं।

संभागीय आयुक्त एवं जनजाति क्षेत्रीय विकास विभाग के आयुक्त के अनुसार आदिवासियों के उत्थान के लिए बनी नई जनजाति विकास उपयोजना नीति से साक्षरता का प्रतिशत 5 से बढ़कर लगभग 20 प्रतिशत हो गया है। आजादी के समय एक भी गांव में बिजली नहीं थी। आज लगभग दो हजार से अधिक गांवों एवं 12 हजार से अधिक सिंचाई कुओं को बिजली उपलब्ध है। वर्तमान में 3602 शिक्षा इकाइयां, 369 स्वास्थ्य इकाइयां तथा आवागमन के लिए 3760 कि.मी. पक्की सड़कें हैं।

श्री मेहता के अनुसार सातवीं पंचवर्षीय योजना में आदिवासियों के विकास के लिए 601 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है तथा पिछले तीस वर्षों में 569 करोड़ रुपये की धनराशि व्यय की गई। अब तक के विनियोजन में सर्वोच्च प्राथमिकता सिंचाई एवं ऊर्जा विकास को दी गई तथा इसके बाद कृषि, पशुपालन, वन एवं उससे संबद्ध प्रवृत्तियों पर दिया गया। अकाल राहत कार्यों में भी विभाग ने महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वाह किया। मछली पालन एवं रेशम कीटपालन की नई प्रवृत्तियां आदिवासियों के बीच लोकप्रिय होने लगी हैं।

छप्परों में रहने वाले आदिवासियों में से आज अनेक ने अपने घर भी बनाये हैं। सिंचाई विकास के लिए जहां एक ओर करोड़ों की लागत वाली माही बजाज सागर परियोजना से 1.40 लाख हैक्टेयर क्षेत्रफल में सिंचाई करने वाले बांध का निर्माण कराया गया है, वहीं जलोत्थान सिंचाई तालाब एवं एनीकट बनाये गये हैं।

विकास की दिशा में किये गये प्रयासों का यह परिदृश्य आदिवासियों के बदलाव का एक गौरवपूर्ण अध्याय अवश्य कहा जा सकता है परन्तु अभी भी उनकी समस्याएं कम नहीं हुई हैं। मीणा जाति को छोड़कर अधिकांश जनजातियों की स्थिति संतोषजनक नहीं मानी जा सकती है। खेती के लिए कम जोत, अशिक्षा, पहाड़ी भूमि, उजड़ते जंगल, बेरोजगारी तथा गरीबी एवं इनके ऊपर उनका आलसीपन और जंगलों की लघु वन उपज पर निर्भरता उनके विकास में सबसे बड़ी बाधा है। सबसे ऊपर है उनकी बढ़ती जनसंख्या जिससे उनके लिए किये जा रहे प्रयासों का पूरा लाभ उन्हें नहीं मिल पाता है। एक समय जब सघन वन थे उस समय वन उपज की कमी नहीं थी। आज तो जलाऊ लकड़ी तक काटने के लिए जंगलों में दूर तक जाना पड़ता है।

बदलाव की प्रक्रिया

आदिवासियों को इन समस्याओं से उभारने के लिए सातवीं योजना में आदिवासियों के लिए चलाए जा रहे कार्यक्रमों का समग्र मूल्यांकन किया गया तथा राज्य के जनजाति विकास आयुक्त के गतिशील नेतृत्व में व्यक्तिपूरक विकास के लिए नई व्यूह रचना तैयार की गई, जिसके अंतर्गत नये कार्यक्रमों की शुरूआत की जा चुकी है।

सामुदायिक वानिकी के नये कार्यक्रम "रुंख भायला" का उद्घाटन प्रधानमंत्री श्री राजीव गांधी ने किया। इस योजना का प्रमुख ध्येय वृक्षारोपण को जन आंदोलन बनाना है। कार्यक्रम में वृक्षों को भाई मानने वाले व्यक्तियों का एक स्वैच्छिक समूह तैयार करना है, जो गांव-गांव जाकर लोगों को वानिकी कार्यक्रम से जोड़ने का कार्य करेगा। उन्हें नेतृत्व प्रदान करेगा। ये लोग स्वयं नर्सरी लगायेंगे तथा पड़ती भूमि का सदुपयोग कर सामाजिक वानिकी कार्यक्रम में सहयोग करेंगे।

शोषण से मुक्ति के लिए अभिनव प्रयास बचत समूह बनाकर प्रारम्भ किया गया। इसमें आदिवासियों के एक फलों का 20 से 50 व्यक्तियों का एक समूह बनाया गया है। समूह का प्रत्येक व्यक्ति समूह कोष के लिए बीस रुपये जमा कराता है। एक हजार रुपये जमा होने पर चार हजार रुपये

स्वयंसेवी संस्था द्वारा जन जागृति के प्रयास

सरकार समूह कोष के लिए देती है। 5 हजार रुपये के इस कोष से समूह के व्यक्ति अपनी धार्मिक, सामाजिक एवं अन्य आर्थिक आवश्यकता के समय स्वयं ही ऋण लेंगे तथा समूह द्वारा निर्धारित ब्याज दर पर चुकायेंगे। इसी प्रकार पांच से दस आदिवासियों को डीजल पम्प समूह योजना के तहत सामूहिक रूप से सिंचाई के लिए पम्प की सुविधा जुटाई गई है।

आदिवासी समुदाय में सरकार पर बढ़ती निर्भरता की घातक प्रवृत्ति को रोकने के लिए ऐसे विकास कार्यक्रमों में समूह की भागीदारी को बढ़ाने के लिए "सहभागी विकास कार्यक्रम" प्रारंभ किया गया है जिसमें आदिवासी अपने हिस्से का श्रम जमा करते हैं तथा सरकार की ओर से सामग्री व तकनीकी ज्ञान प्रदान किया जाता है। दोनों के संयुक्त प्रयासों से स्थानीय समूह द्वारा उसकी आवश्यकता के अनुरूप काम किये गये कार्य हाथ में लिए जाते हैं।

बहुसंख्य आदिवासियों के पास एक हैक्टेयर से भी कम पहाड़ी भूमि है, जिस पर भी सिंचाई सुविधाओं का अभाव। ऐसे में उन्नत किस्म की खेती करने की कल्पना भी नहीं की जा सकती है। अतः कृषि विकास की नई नीति में कम आयतन और अधिक उपज वाली खेती की नीति को अपनाया गया है। सघन रूप में फलदार पौधें की खेती, सोयाबीन, अरण्डी, रतनजोत, शहतूत की खेती तथा सब्जियों की खेती के विशेष कार्यक्रम बना कर लागू किये गये हैं। आने वाले समय में लगभग एक करोड़ रुपये मूल्य का रेशम धागा राज्य के अदिवासी उपयोजना क्षेत्र में होने लगेगा तथा एक करोड़ रुपये की फलदार वृक्षों की खेती कार्यक्रम का व्यापक असर नजर आने लगेगा।

अपने बच्चों को ज्यादा से ज्यादा स्कूल भेजने के बारे में आदिवासी विचार करें अतः शिक्षा के क्षेत्र में आश्रम विद्यालयों की स्थापना अभिनव प्रयोग रहा। निःशुल्क शिक्षा की सुविधा के साथ-साथ निःशुल्क ड्रेस, स्टेशनरी की व्यवस्था एवं विविध छात्रवृत्तियों का प्रावधान किया गया है। गत वर्ष घर से बाहर रहकर पढ़ने वाले आदिवासी छात्रों को मकान किराया देने की छात्रगृह योजना प्रारम्भ की गई। आश्रम स्कूलों व छात्रावासों का करीब 15 हजार आदिवासी विद्यार्थी लाभ उठा रहे हैं तथा अनुमानतः चार लाख आदिवासी छात्र विभिन्न स्तरों पर अध्ययनरत हैं। पढ़े-लिखे आदिवासी नवयुवकों को विभिन्न व्यवसायों में प्रशिक्षण

देकर दक्ष बनाने के लिए जनजाति उप-योजना में विकास खण्ड स्तर पर व्यावसायिक प्रशिक्षण की सुविधा सुलभ कराने का निर्णय लिया गया है। राज्य सेवाओं में प्रवेश के ज्यादा मौके मिल सकें अतः पूर्व सेवा प्रशिक्षण की भी व्यवस्था की गई है।

जन-जाति उप-योजना क्षेत्र के आदिवासियों को नारू की पीड़ा से मुक्ति दिलाने के लिए डूंगरपुर, बांसवाड़ा एवं उदयपुर के लिए 26 करोड़ रुपये की परियोजनाएं चार वर्ष की अवधि की पृथक से चलाई जा रही हैं। इनमें यूनीसेफ एवं स्वीडिश अन्तर्राष्ट्रीय संगठन सरीकी संस्थाओं का अर्थ सहयोग प्राप्त है।

आदिवासियों को मछली पालन हेतु प्रोत्साहित करने के लिए अनेक कार्यक्रम चल रहे हैं। ठेकेदारों की अपेक्षा उनको राज्य द्वारा मछली पकड़ाई की दुगुनी मजदूरी दी जाती है। उनकी मत्स्य उत्पादक सहकारी समितियां गठित हैं। उनके लिए सामूहित बीमा योजना लागू है। नाव एवं जाल आदि क्रय करने के लिए मत्स्य आखेट इकाई के लिए पांच हजार रुपये के ऋण व अनुदान की सुविधा उपलब्ध है।

दुर्गम आदिवासी क्षेत्रों में आवश्यक उपभोक्ता वस्तुएं पहुंचाने के लिए राजस्थान जनजाति क्षेत्रीय विकास सहकारी संघ में चल उपभोक्ता वाहन अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं।

बदलता परिवेश

आदिवासियों के उत्थान के लिए राजस्थान में किये जा रहे प्रयासों का प्रभाव जानने की प्रक्रिया में जब मैं अंबासा ग्राम में आयोजित एक चेतना शिविर में रूपलाल कथोड़िया जनजाति के युवक से मिला तो उसने कहा वह पढ़ कर अपने ही गांव में अध्यापक बनना चाहता है। उसका मानना है अशिक्षा के कारण ही समुदाय का विकास नहीं हो पाया है। यह अभी कक्षा 7 में पढ़ता है तथा शाला में हमेशा प्रथम आता है। सामान्य ज्ञान का स्तर भी अन्यों से अच्छा है। रूपलाल के साथ शिविर में आयेनेवीराम एवं इसने भी अपने बच्चों को नियमित पाठशाला भेजने की बात सोची है।

उदयपुर जिले की पंचायत समिति खैरवाड़ा के गांव मीठीमोड़ी का आदिवासी काश्तकार रामा अपने फलदार पौधों की पूरी चिन्ता करता है। पानी के अभाव वाले दिनों

बीस सूत्री कार्यक्रम में गोबर गैस लोकप्रिय बनाने के प्रयास

में मटके से पौधों को पानी पिलाते हुए उसे देखा है। अन्त: कृषि के रूप में लोकी की खेती उस समय उसने की थी। इन्हीं की तरह राबिया गांव के काश्तकार हल्लू अच्छी हैसियत वाले काश्तकार हैं। इन्होंने भी 1982 में अमरूद का एक बगीचा अपने खेत में लगाया था। इससे उसे पांच सौ से आठ सौ रुपये का आर्थिक लाभ मिलना प्रारम्भ हो गया है। इस वर्ष इन्होंने 40 नीबू के पौधे अपने खेत पर और लगाये हैं।

कोटा जिले के सहरियों के ग्राम रामपुरिया की हाट में बरजू सहरिया ने बताया कि गांव वालों को हर हाट में इस गाड़ी की प्रतीक्षा रहती है। इससे हमें आवश्यकता की सभी वस्तुएं एक ही जगह दर बाजार भाव से उचित मूल्य पर मिल जाती है। शाहबाद व किशनगंज क्षेत्र में चल उपभोक्ता वाहन लोकप्रिय हैं।

पई गांव का हीरालाल आदिवासी एक ऐसा काश्तकार है जिसके अकेले के घर में गोबर गैस संयंत्र लगा है। यह अब झाड़ोल में रेशम की साड़ी बुनने का प्रशिक्षण प्राप्त कर रहा है। रेशम कीट पालन, बांस के उपकरण बनाने तथा मछली पालन में अनेक आदिवासी काश्तकार लगे हैं।

मकड़ा देव गांव में विकास का बिगुल बजाया है एम.ए. पास आदिवासी नवयुवक पृथ्वीराज मीणा ने। उसने जन चेतना विकास समिति का गठन किया और दो वर्ष की अल्प अवधि के अल्प समय में घरों में निर्धूम चूल्हे, मुर्गीपालन, बतख पालन, शहतूत की खेती, रेशम कीट पालन, सिंचाई कुओं का निर्माण तथा खेती योग्य भूमि का समतलीकरण आदि आज इस गांव की विशेषताएं बनकर न केवल आदिवासियों के लिए लाभकारी बनी है, वरन् आने वाले के आकर्षण का भी केन्द्र बिन्दू बन गई हैं।

उदयपुर की पंचायत समिति कोटड़ा के गांव सड़ा की आदिवासी महिला रजवंती से भी उनके गांव में मिला। यह गांव में एक मात्र नवीं कक्षा पास तथा गांव में आंगनवाड़ी केन्द्र चलाती है। रजवंती महिलाओं में शिक्षा, परिवार कल्याण तथा स्वस्थ्य के प्रति महिलाओं में चेतना जागृत करने में खुद भी जुटी तथा इनकी गूरा ग्राम की मोहनी भी उसके साथ पढ़ी है तथा उसी की राह पर चल रही है।

सांस्कृतिक प्रदूषण

अपने इस अध्ययन के दौरान एक और बात बदलाव की प्रक्रिया में नजर आई वह थी आदिवासियों में गहराता सांस्कृतिक प्रदूषण। विकास की कड़ी में तो उन्हें आगे लापाने में सफल हो भी जाये पर उनकी संस्कृति के गहराते प्रदूषण को क्या हम रोक पायेंगे। आदिवासी जो मजदूरी करने शहर तक आ पहुंचे हैं, उनके पहनावे में बदलाव आने लगा है। आधुनिक परिधान उनके लिए फैशन बनता जा रहा है। पड़ोसी राज्यों की सीमा होने से गुजरात का पहनावा भी कहीं-कहीं नजर आने लगा है। मेले-ठेलों में आदिवासी युवतियां आधुनिक श्रृंगार प्रसाधन खरीदती नजर आती हैं।

आदिवासियों की सामाजिक व्यवस्था, लोकगीत, लोकनृत्य एवं रीति रिवाज कहीं-कहीं आज भी काफी हद तक मौलिक हैं।

एक और बात जो देखने में आई कि समस्याओं के होते हुए भी हम शहर वासियों की तरह पग-पग पर उसका रोना नहीं है। मेले-ठेलों में वह सभी चिन्ताओं से मुक्त हो नाचते-गाते हैं। भीलों के रात्रि को होने वाले नृत्य तथा सहरियों के सहराने की रात मनोरंजन से भरपूर होती है। सीमित साधनों में भी वे हमेशा हंसते गाते रहते हैं। मुस्कान होठों को हरदम छूती रहती है।

यह कहा जा सकता है कि राजस्थान में आदिवासियों के लिए किये गये उत्थान के प्रयासों से आदिवासी समुदाय में आजादी के पश्चात व्यापक परिवर्तन हुए हैं। परन्तु अभी भी समस्याओं के बादल छंटे नहीं हैं। आदिवासियों में गहराता सांस्कृतिक प्रदूषण का नया संकट भी सामने है। समस्याओं से झूझने के लिए ठोस और व्यवहारिक रूप से अनेक नये कार्यक्रम चलाये जा रहे हैं जिनसे कुछ आशायें तो अवश्य बंधती ही हैं। आदिवासियों का उत्थान इस बात पर भी निर्भर करता है कि वह स्वयं अपनी स्थिति के प्रति कितने जागरुक होते हैं और कितना अपना विकास करते हुए अपनी संस्कृति को भी अक्षुण्ण एवं मौलिक बनाये रखते हैं। □

के.आर. 247,
सिविल लाइन्स,
कोटा (राजस्थान)

गांवों में स्वच्छ पेयजल की समस्याएं एवं समाधान

मधु शुक्ला

जल ही हमारा जीवन है। हमारा शरीर पांच तत्वों से बना है। यदि इनमें से किसी एक की भी कमी हो जाये तो हमारे शरीर के अन्दर कई प्रकार के रोग उत्पन्न हो जाते हैं। उनमें से एक जल है जो हमारे जीवन की रक्षा करता है। जल वास्तव में हमारे जीवन के सर्वाधिक मूलभूत एवं अनिवार्य प्राकृतिक तत्वों में से एक है। जल-प्रदूषण का भयावह दानव, हमारे द्वारा उत्पन्न होकर हमें ही खा रहा है। इसीलिए ग्रामीण विकास विभाग ने जल-आपूर्ति एवं स्वच्छ पेयजल की व्यवस्था करने के लिए ऐसे स्थानों को प्राथमिकता दी है जहां एक या दो किलोमीटर की दूरी पर पानी का कोई स्रोत नहीं, जमीन से 15 से 20 मीटर की गहराई तक पानी नहीं निकल सकता या जहां पानी का स्रोत तो मौजूद है लेकिन इसमें लोहा और फ्लोराइड तत्व या हानिकारक नशीले तत्व पाये जाते हैं।

भारत गांवों में बसा है। स्वच्छ जल के कुओं का पानी कपड़े धोने या नहाने से खराब हो जाता है। हमें इस बात का विशेष ध्यान देना चाहिए कि कुओं में गंदगी न होने पाये, हैण्डपंपों और सार्वजनिक नलों को इस तरीके से इस्तेमाल करें जिससे पानी का सदुपयोग हो। यह भी देखा गया है कि शहरी क्षेत्रों में उपभोक्ता इतना पानी बेकार बहा देते हैं जिससे अनुमानतः 10 हजार लोगों को स्वच्छ पानी की सप्लाई की जा सकती है। स्वच्छ जल के स्रोतों को भी प्रदूषण से बचाना होगा। अभी तक हमने इस पर कोई विशेष ध्यान नहीं दिया है। तभी गंगा और यमुना जैसी महान नदियों का पानी जिन्हें हम सदैव पवित्र मानते आये हैं, आज प्रदूषित होता जा रहा है। नदियों के प्रति भक्ति भावना होने के बावजूद अपने देश में बहुत ज्यादा गन्दगी नदियों में ही डाली जाती है। जल प्रदूषण का खतरा मानव समेत सभी जीव जन्तुओं और वनस्पति जगत पर जान लेवा संकट बनकर मंडरा रहा है। आज भारत जैसे विकासशील देश में पांच में से चार बच्चे जल प्रदूषण के कारण पैदा होते ही पेचिश, हैजा, पेट के कीड़े, पीलिया, मलेरिया आदि रोगों से ग्रस्त रहते हैं।

पीने के पानी की समस्या के सिलसिले में 1971-72 में एक सर्वेक्षण किया गया था जिससे यह सिद्ध हुआ कि शुद्ध पेयजल एक लाख 52 हजार गांवों में सुलभ नहीं था। कई गांवों में पानी डेढ़ किलोमीटर की दूरी तक भी उपलब्ध नहीं था। यदि था भी तो पानी कम-से-कम पच्चीस से पचास फुट की गहराई पर उपलब्ध था और जो पानी उपलब्ध था तो वह पीने योग्य नहीं था।

उत्तर प्रदेश, राजस्थान जैसे राज्य में लोगों को पानी के लिए मीलों की यात्रा करनी पड़ती है तो कहीं पीने को पानी मिलता है। हिमाचल प्रदेश में पानी बहुत गहराई पर उपलब्ध होता है। 1972 से 1980 तक इन समस्याग्रस्त गांवों में से 95 हजार गांवों में पेयजल की व्यवस्था कर दी गई। सिक्किम के गांवों सहित

57 हजार ऐसे गांवों में जिन्हें सर्वेक्षण में पानी की क़मी या स्वास्थ्य के लिए हानिकारक पानी वाला बताया गया, वहां स्वच्छ पेयजल की सप्लाई का इंतजाम अभी किया जाना है।

हमारे यहां जहां 1980-81 में न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम के लिए 206 करोड़ रुपये और केन्द्र की ओर से तेजी से जल-आपूर्ति कार्यक्रम के लिए 100 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया था, वहीं वर्ष 1983-84 में न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम के लिए 318 करोड़ रुपये और तेजी से चलाये जा रहे कार्यक्रमों के लिए 200 करोड़ रुपये की राशि का प्रावधान किया गया। पेयजल आपूर्ति के लिए सरकार ने अनुमान लगाया कि नई योजना के लिए ज्यादा-से-ज्यादा धनराशि की आवश्यकता होगी। इसके लिए उन्होंने 75 करोड़ रुपये की अतिरिक्त राशि प्रदान की। छठी पंचवर्षीय योजना के पहले चार वर्षों में भारत सरकार ने 600 करोड़ रुपये से अधिक राशि दी।

इसी तरह 1984-85 के लिए तेजी से चलाये जा रहे ग्रामीण जल-आपूर्ति कार्यक्रम के लिए भारत सरकार ने 242.5 करोड़ रुपये का प्रस्ताव किया। इसी प्रकार न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम के लिए 364 करोड़ रुपये की राशि के प्रावधान की आशा है। उल्लेखनीय है कि दिसम्बर, 1983 तक लगभग एक लाख 32 हजार गांवों में पेयजल की व्यवस्था कर दी गई है। मार्च, 1984 को समाप्त होने वाले वर्ष में ही 48 हजार से भी अधिक गांवों (48,846) में यह व्यवस्था की गई। इस वर्ष भी लक्ष्य से अधिक कार्य हुआ और 55,341 गांवों में पानी की सुविधाएं प्रदान की गई। पानी की सुविधाएं एकत्रित करने में कुछ समस्याएं सामने आ रही हैं। जैसे सभी स्थानों में मौसम एक समान नहीं है। एक ही तरह जल स्रोत उपलब्ध नहीं कराये जा सकते और पानी मिलने की सतह भी अलग-अलग है। पानी की सुविधाओं को प्राप्त करने के लिए अति आधुनिक सेवाओं का प्रयोग नहीं किया जा सकता, क्योंकि वे बहुत खर्चीली हैं। समस्या वाले सभी स्थानों की भौगोलिक असमानताओं के कारण इनके लिए एक समान योजना नहीं बनाई जा सकती। जहां पर ऐसी असुविधाजनक बातें सामने आ जाती हैं वहीं पर काम कुछ ढीला पड़ जाता है।

सर्वेक्षण से यह भी पता चलता है कि 90 प्रतिशत गरीब सार्वजनिक नल से केवल आधा किलोमीटर की दूरी पर रहते हैं, लेकिन यह उनका सही ढंग से इस्तेमाल नहीं कर पाते क्योंकि पानी कम आता है और लोग अधिक होते हैं। अक्सर यह भी देखा गया है कि अगर देहात में पेयजल की व्यवस्था कर दी गई है, वहां लगाये गये नलों की सही ढंग से देखभाल नहीं हो पाती, जो एक गंभीर समस्या उत्पन्न कर देती है। कर्मचारी कम हैं, स्थानीय लोगों को नियुक्त नहीं किया जाता, एक बार जहां इस उपकरण ने काम करना बन्द किया कि फिर वह खराब ही पड़ा रहता है।

छठी योजना में इस पर विचार किया गया था कि गांव में देखभाल के लिए एक 'केयर टेकर' रहे, ब्लाक स्तर पर 'मैकेनिक' रखा जाये और जिला स्तर पर एक 'मरम्मत गाड़ी' रखी जाये जो देहात में घूमती रहे।

इन सब बातों पर गम्भीरता से विचार करने के साथ जब हम सरकारी उपलब्धियों के आंकड़ों पर नजर डालें तो यह कहना पड़ता है कि निर्धारित लक्ष्यों के परिप्रेक्ष्य कमोबेस कार्य अवश्य हुआ है। 20-सूत्री कार्यक्रम के अन्तर्गत सरकार ने ग्रामीण पेयजल समस्या को शामिल कर जो कार्यक्रम चलाये हैं उनके उत्साहवर्द्धक परिणाम मिलने प्रारंभ हो गये हैं। 20-सूत्री कार्यक्रम के अन्तर्गत वर्ष के अन्त तक सरकार ने 32,470 गांवों में पेयजल सुविधाएं उपलब्ध कराने में सफलता प्राप्त की जबकि लक्ष्य 41,530 गांवों में जल आपूर्ति का रखा गया था। इस प्रकार लक्ष्य का 78.2 प्रतिशत कार्य सम्पन्न हो सका। देश के 16 राज्यों ने निर्धारित लक्ष्य का लगभग 50 प्रतिशत कार्य पूरा कर दिखाया लेकिन कुछ राज्य ऐसे भी हैं जो पेयजल संबंधी कार्यक्रमों के क्रियान्वयन में 50 प्रतिशत की उपलब्धि हासिल करने में भी असफल रहे हैं। ये प्रदेश हैं – असम, पश्चिम बंगाल, बिहार, जम्मू-कश्मीर, नगालैण्ड, सिक्किम, त्रिपुरा, ओडिसा एवं मेघालय आदि। इन राज्यों को सरकार की ओर से पुनः निर्देश भी दिए गए हैं।

गांवों में पेयजल की जटिल समस्या को सुलझाने के लिए 20-सूत्री कार्यक्रम के तहत सरकार संबंधित विभागीय अधिकारियों की बैठकें भी करती रहीं है जिनमें उपलब्धियों की समीक्षा की जाती है। समस्या विकराल है लेकिन इसका हल कठिन हो सकता है, असंभव नहीं। आवश्यकता है – समयबद्ध समर्पित प्रयासों की। □

एल-61, राजापुरी कॉलोनी,
उत्तम नगर, नई दिल्ली-59

घाड़ की जिन्दगी के चालीस साल

महेन्द्रपाल काम्बोज

भारत के उत्तर में खड़े विशालकाय हिमालय के भीतरी भाग, शिवालिक के दक्षिण में 20 कि.मी. चौड़ा और 65 कि.मी. लम्बा एक ऐसा भू-भाग है, जिसे हम "घाड़" कहते हैं। घाड़-यानि समस्याओं, परेशानियों व असुविधाओं से भरी उबड़-खाबड़ भूमि। घाड़ में उत्तर प्रदेश के सहारनपुर जनपद की दो तहसीलों – रुड़की व सहारनपुर के चार विकास खण्ड – साढ़ौली कदीम, मुजफ्फराबाद, भगवानपुर व बहादुराबाद शामिल हैं। इस भू-भाग में पहाड़, पठार, जंगल, मैदान, रेगिस्तान और कहार या डेल्टा सभी प्राकृतिक अवस्थाओं की झलक मिलती है। इस जटिल क्षेत्र की भूमि प्रायः सख्त है जो भारी वर्षा के बावजूद भी सूखे की चपेट में ही रहती है। कारण यह है कि दर्जनों बरसाती नदियां वर्षा के जल को बहाकर तेजी से नीचे उतर जाती हैं जिससे भू-क्षरण के कारण यहां की धरती की छाती दरक जाती है। दूर-दूर तक सैंकड़ों फीट तक गहरी दरारें पड़ जाती हैं, जिन्हें यहां की भाषा में 'दरड़' कहा जाता है।

कठोर परिश्रम करना और प्राकृतिक आपदाओं से लड़ना घाड़ के निवासियों की नियति बन गई है। घाड़ में पीने के पानी, सिंचाई, भूमि को कृषि योग्य बनाना, यातायात, शिक्षा, रोजगार आदि समस्याओं और उनके निराकरण की ओर कोई ध्यान न दिया गया हो, ऐसी बात नहीं है।

चुनावी दौड़ में भागीदार अथवा विजयी जन प्रतिनिधियों के अलावा प्रख्यात साहित्यकार व पत्रकार श्रद्धेय कन्हैयालाल जी मिश्र 'प्रभाकर' एवं महेन्द्रपाल काम्बोज ने अपनी लेखन कला द्वारा घाड़ की समस्याओं को मुखर किया है। प्रो. सुलेमान व रमेश सूर्यवंशी जैसे कुशल पत्रकारों ने भी काफी लेख लिखे हैं। उनके यात्रावृत्तों से तो सामान्य व्यक्ति भी घाड़ की जिन्दगी से बखूबी परिचित हो जाता है। इसी संदर्भ में 'सहारनपुर की समस्या मूलक सामाजिक एवं आर्थिक अध्ययन' के नाम से 1977-78 में गुरुकुल कांगड़ी विश्वविद्यालय द्वारा घाड़ पर किया गया शोध भी महत्वपूर्ण है।

यद्यपि देश में विकास की तीव्रगति को देखते हुये घाड़ आज भी अपने समुचित विकास के लिए छटपटा रहा है किन्तु स्वतंत्रता के बाद के इन चालीस वर्षों में घाड़ की जिन्दगी में चौकाने वाले परिवर्तन आये हैं।

शिक्षा को ही लीजिए – घाड़ के जिस क्षेत्र में रुड़की और हरिद्वार को छोड़कर मात्र बेहट कस्बे में ही एक मिडिल स्कूल हुआ करता था, आज साढ़ौली कदीम, बेहट, कलसिया, मुजफ्फराबाद, छुटमलपुर, पानसर, भगवानपुर, बहादुराबाद, घनौरी व रोहालकी में इण्टर कालिज तथा फतेहपुर, ताल्हापुर व सुन्दरपुर टांक में हाई स्कूल चल रहे

हैं। प्राइमरी स्कूल तो प्रायः सभी बड़े गांवों में मिल जायेगा। इल्म की जिस घाड़ में पीढ़ियों की पीढ़ियां निरक्षर रहकर कोल्हू के बैल की तरह जिन्दगी के दिन पूरे करती थीं आज उसी घाड़ में मात्र 15 प्रतिशत परिवार ही ऐसे होंगे जिनका एक-दो बच्चा स्कूल में न जाता हो।

पांच-पांच, छः-छः कि.मी. से कई-कई दिन तक पानी ढोकर इकट्ठा करने वाले घाड़वासियों के लिए सरकार ने 12 ग्राम समूह योजना बनाकर पेयजल उपलब्ध कराने का भागीरथी प्रयास किया है। गांव-गांव में पानी के पाईप बिछाकर टूटियां लगा दी गई हैं। पानी की सप्लाई नियमित होती रहे, इसके लिए पहाड़ी स्रोत भी खोजे गये हैं और जहां आवश्यक समझा वहां बड़े-बड़े नलकूप लगाकर पानी की ऊंची-ऊंची टंकियां बना दी गई हैं। सिंचाई के लिए भी विश्व बैंक की सहायता से यहां करीब 120 सरकारी ट्यूबवेल लगे हैं।

सरकार ने बेहट से शाकुम्भरी देवी तक 16 कि.मी. गंदेवड से नौशेरा तक 10कि.मी. व कलसिया से फतेहपुर तक देहरादून रोड को मिलाती हुई 25 कि.मी. की सड़कें भी बनवाईं जिससे घाड़वासियों के लिए आना जाना काफी हद तक सुलभ हो गया और वे खुशहाली की ओर बढ़ने लगे। यदि स्वयं यात्रा करके घाड़ की जिन्दगी का जायजा लेना हो तो सहारनपुर से चकरौता जाने वाली सड़क पर दाउदपुरा होते हुए कलसिया का बस स्टैण्ड देखना होगा। बड़ा मनोहारी स्थल है यह। बागों के बीच नहर विभाग की दो तीन कोठियां और एक इण्टर कालिज। यहीं से छुटमलपुर की सड़क चली गई है। शाकुम्भरी सहारनपुर, सढ़ौली व छुटमलपुर से आकर बसें रुकती हैं अर्थात 40 साल पहले जिस तिराहे से गठरिया कंधों पर लटकाये नये पुराने कपड़ों में मेहमानों के काफिले अपनी रिश्तेदारियों में जाने के लिए धोती चढ़ाये पैदल ही दौड़े चले जाते थे, अब उस पर दूर-दराज के गांवों तक जाने के लिए भी बसें मिल जाती हैं। शेष सड़कें या तो पक्की बनाई जा रही हैं या बनने की प्रतीक्षा में हैं।

कलसिया से तीन कि.मी. पर बेहट कस्बा है जो कभी चन्द्रगुप्त मौर्य के काल में व्यापारिक मंडी था। गुप्त काल में इसका नाम वृहदहट था, जो कालान्तर में प्रचलन के कारण बेहट हो गया। अपने चारों ओर दो-दो, तीन-तीन कि.मी. तक आम के रसीले बागों को सजाये यह कस्बा आधे घाड़ के लोगों की दैनिक उपभोक्ता वस्तुओं की पूर्ति करता है और यहीं से एक सड़क शाकुम्भरी देवी मन्दिर तक चली गई है। बीस बरस पहले तक देवी भक्त बेहट में पड़ाव डालने के बाद इस कच्ची सड़क पर सैंकड़ों की टोलियों में अपनी आराध्य देवी की जय-जयकार करते हुए पैदल ही चलते थे।

बेहट से गंदेवड होते हुए नहर की पटरी के साथ बनी सड़क पर पहुंचिये-रायपुरा सामंती दबदबे का पुराना गांव था। यहां पुराने जमींदारों की हवेलियों के ऊंचे-ऊंचे छज्जे और खण्डहर आज भी सामंती दबदबे की याद दिलाते हैं। रायपुर के पुल के पास शाह अब्दुर्रहीम की बनवाई एक खानगाह है, जो आजादी के आंदोलन में गुप्त गतिविधियों का केन्द्र बनी रही।

रायपुर से आगे बढ़ते ही जमीन फिर बदल जाती है। रेत ही रेत, पत्थर ही पत्थर, न साइकिल चल सकती है, न पैदल चला जा सकता है। यहां किसी से पूछेंगे तो उत्तर मिलेगा – बाबू ये घाड़ नहीं, भुड्डा है।

अब शिवालिक की पहाड़ियों के साथ-साथ पूर्व की ओर चलें तो ऊंचे-नीचे ढलानों पर चलने में बेहद मजा आयेगा। इसी मार्ग पर 20 कि.मी. चलने के बाद शिवालिक की तलहटी में बसा शाकुम्भरी का शक्ति पीठ है, जहां देश के कौने-कौने से भक्त जन मन्नतें मांगने आते हैं। शाकुम्भरी से तीन कि.मी. की दूरी पर भागोवाला के पास बनाई गई है – नागल पेयजल ग्राम समूह योजना। पर्वत के स्रोत से पानी लाकर यहां टैंकी बनायी गयी है।

इसी दिशा में और आगे बढ़ें तो झाड़ियां, रेत, पत्थर के संकरे रास्तों को पार करते हुए घाड़ के पिछड़ेपन के नजदीक जाने का और मौका मिलेगा। मार्ग के आस-पास अधिकांश जमीन खाली पड़ी है। यह जहानपुर है। यहां भी पेयजल समूह की टैंकी लगी है, जो केवल पेयजल की पूर्ति ही कर सकती है। ट्यूबवेल लगाने में यहां कई-कई लाख रुपये खर्च करने पर भी कामयाबी की गारंटी नहीं हैं। भामड़ से बान बांटकर गुजारा करना यहां का मुख्य धंधा है।

सादगी, गरीबी, अशिक्षा और पिछड़ेपन के बावजूद घाड़ में जो महत्वपूर्ण बात देखने में आती है वह है – 'खातिरदारी'। परिचित, अपरिचित कोई भी जाये, उसके लिए श्रद्धा व प्रेम के साथ जो कुछ घर में है, प्रस्तुत कर दिया जाता है। ठेठ घाड़ के अन्दरूनी गांव हैं शेखूपुर, चाऊपुर, जान्नीपुर, ताल्हापुर, मुस्तफापुर, अब्दुल्लापुर,

कुर्डी खेड़ा महमूदपुर आदि। यहां की जमीन में 20 फीट से लेकर 60 फुट तक गहरे दरड़ मिलेंगे।

आज भी अधिकांश फूस के छप्परों से घिरे घाड़ के गांवों को गर्मी के मौसम में भीषण अग्नि कांडों की विभीषिका से भी निपटना पड़ता है। मई-जून के दो महीनों में तो कोई दिन ऐसा जाता होगा जिस दिन क्षेत्र के किसी न किसी गांव में अग्नि देव अपना ताण्डव न दिखाता हो। आग पर काबू पाने के लिए बेहट व बिहारीगढ़ में अग्नि शमन केन्द्र बनाने की मांग पिछले दो दशकों से उठाई जा रही है, जो अब अस्थाई तौर पर पूरी की गई है किन्तु अग्नि शमन यंत्रों के लिए जलाशय नहीं बनाये गये।

सहारनपुर-देहरादून मार्ग के पूर्व का घाड़ अपेक्षाकृत अच्छा है। छुटमलपुर से रुड़की और धनौरी होते हुए ज्वालापुर जाने वाली सड़क के आस-पास के गांव में काफी रौनक दिखाई पड़ती है।

आजादी के इन 40 वर्षों में से बाद के 20 वर्षों में घाड़ के विकास के लिये जितना काम हुआ है, उससे घाड़ के गरीब व पिछड़े लोगों के जीवन में काफी अन्तर आया है। खुशहाली की दिशा में वे कई कदम आगे बढ़े हैं। किन्तु इतना ही पर्याप्त नहीं है। अन्य पिछड़े क्षेत्रों के विकास की तुलना में यह काम ऊंट के मुंह में जीरे के समान है। यों तो प्रदेश की पूरी पंचवर्षीय योजना का धन भी घाड़ के दरड़ों में खपा दिया जाये तो भी यह क्षेत्र अन्य क्षेत्रों की बराबरी में नहीं आ सकता। फिर भी कुछ सुझाव ऐसे हैं जिन्हें घाड़ के समुचित विकास की दृष्टि से देर-सबेर स्वीकार कर लेना चाहिए।

बिहारीगढ़ अथवा मुजफ्फराबाद को केन्द्र मानकर घाड़ के इन दो सौ से ऊपर गांवों की एक अलग तहसील बना दी जाये और इसे छोटे-छोटे 12 विकास खण्डों में बांटा जाये। भू-क्षरण को कारगर ढंग से रोका जाये, पशुओं की नस्ल सुधार के लिए कृत्रिम गर्भाधान के कम से कम 50 उपकेन्द्र खोले जायें। हरे चारे की व्यवस्था की जाये और नलकूप लगाने में विश्व बैंक की सहायता ली जाये।

बाण यहां का मुख्य उद्योग है। अतः सहकारी समितियों के माध्यम से ऋण देकर इस उद्योग का मशीनीकरण किये जाने की महती आवश्यकता है, ताकि 50 हजार बाण मजदूरों का स्तर ऊपर उठ सके।

दो-तीन बड़े उद्योगों के लिए यहां अनुकूल परिस्थितियां विद्यमान हैं। सीमेंट, काष्ठ उद्योग और मूंगफली से वनस्पति घी बनाने वाले कारखाने यहां लग सकते हैं। गांधी आश्रम भी घाड़ के आर्थिक विकास में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है। रसायन और औषधि-निर्माण के लिए भी घाड़ के जंगल में जड़ी-बूटियां पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध हैं।

एक और काम जो घाड़ में आसानी से किया जा सकता है वह है बारानी खेती। करीब 2 लाख 18 हजार की जनसंख्या वाले इस घाड़ क्षेत्र का क्षेत्रफल 6,47,68.80 हैक्टेयर है। डॉ. रघुराज गुप्ता द्वारा किये गये सर्वे के अनुसार घाड़ के एक विकास खण्ड साढ़ौली कदीम में 47.6 प्रतिशत काश्तकार, 37.8 प्रतिशत भूमिहीन मजदूर, एक प्रतिशत पशुपालक तथा 5 प्रतिशत बाग लगाने वाले लोग हैं।

पूरे क्षेत्र में दो डिग्री कालेज, एक औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान व न्याय पंचायत स्तर पर एक पुस्तकालय, वाचनालय व प्रौढ़ शिक्षा केन्द्र खुल जायें तो साक्षरता का प्रतिशत बढ़ जायेगा और शैक्षिक क्षेत्र में भी घाड़ आगे बढ़ सकेगा।

जीवन रक्षा के नाम पर यदि आयोडीन मिश्रित नमक घाड़ क्षेत्र की दुकानों, राशन डिपों पर उपलब्ध हो जाये तो लोग आयोडीन के अलावा यहां होने वाले घेंघा रोग व मानसिक विकलांगता से छुटकारा पा सकेंगे। पानी में आयोडीन की कमी के कारण इनके शरीर की स्फूर्ति नष्ट हो जाती है और 70 प्रतिशत लोग आलसी हो जाते हैं। पेयजल पहुंचाते समय सरकार को इस ओर विशेष ध्यान देना होगा।

यदि घाड़ की प्राकृतिक व खनिज सम्पदा का योजनाबद्ध तरीके से दोहन किया जाये तो निस्संदेह यह क्षेत्र देश का सर्वाधिक खुशहाल क्षेत्र बन कर राष्ट्र के विकास में सहयोगी हो सकता है। आवश्यकता है, इसके विकास की ओर समुचित ध्यान देने की। □

स्यालकोट भवन,
हनुमान चौक,
देवबन्द 247554

राजस्थान का पहाड़ी ग्राम नोलाव

बलवन्त सिंह हाड़ा

पहाड़ी ग्राम नोलाव तहसील झालरापाटन राजस्थान

झालावाड़ जिले में नोलाव ग्राम दरा मुकन्दरा पहाड़ की चोटी पर अभयारण्य में बसा हुआ है। कुएं से पानी खींचने की चरस की रस्सी को 'लाव' कहते हैं। एक लाव औसतन 25 फुट लम्बी होती है। इसी नाप की लम्बाई से नोलाव उंचाई पर ग्राम नोलाव बसा होने से उसे नोलाव कहा जाने लगा है। अंग्रेजी नोलाव का शाब्दिक अर्थ 'अप्रिय' है। इतनी कठिन चढ़ाई पहाड़ी पर स्थित होने से अप्रिय कहा जाना भी स्वाभाविक है। ग्राम की जनसंख्या 459 और क्षेत्रफल 336 हैक्टेयर है। इसमें 60 प्रतिशत लोग पिछड़ी जाति के रहते हैं। अधिकांश गरीब वर्ग के व्यक्ति हैं जिनकी आजीविका खेती, मजदूरी ही है। कहार जाति के व्यक्ति यहां के तालाब में सिंगाड़े की खेती भी करते हैं। यह ग्राम धरातल से 200 फुट ऊंचाई पर बसा है। इसलिये यहां का जीवन बड़ा कष्टदाय है। शिलालेखों के अनुसार इस ग्राम के मंदिर एवं तालाब 15 वीं शताब्दी के बने हुए प्रतीत होते हैं। पास ही खींचियों का गोगरोन दुर्ग अवस्थित है जिसका इस ग्राम से प्राचीन सम्बन्ध रहा है।

नोलाव सदियों से पीने के पानी की कठिनाई को सहन करता रहा है। महिलाओं को नीचे से पानी ले जाते समय काफी कठिनाई का सामना करना पड़ता था। यह गांव 1977-78 तक जिला कोटा का अंग था और काफी पिछड़ा रहा। लेकिन अब यह झालावाड़ के पास होने के कारण इसे राज्य सरकार ने झालावाड़ जिले में मिला दिया है। यह विकास से भी पिछड़ा ही रहा। अब जिला मुख्यालय से निकट होने के कारण सरपंच ने इसके विकास की ओर ध्यान देना शुरू किया है। उसने कई लोगों से समय-समय पर सलाह ली। सर्वप्रथम पंचायत समिति के सहयोग से प्राइमरी पाठशाला भवन का निर्माण करवाया जहां 5वीं कक्षा तक के बालक शिक्षा प्राप्त करते हैं। अब गांव में बिजली भी आ गई है। इसने पहाड़ी पर बसे गांव को चमका दिया है। यह ग्राम झालावाड़ से रात्रि में सुन्दर चमकता पहाड़ी पर दिखाई देता है। अब यहां आटा पीसने की चक्की भी लग गई है। इससे पूर्व लोगों को दुर्गपुरा या झालावाड़ जो 10 कि.मी. दूर है, जाना पड़ता था।

दरा अभयारण्य में होने से यहां फारेस्ट की चौकी बनी हुई है जिसमें एक नाकेदार और दो फारेस्ट गार्ड नियुक्त हैं। जंगल कटाई और वन्य जीवों को संरक्षण मिल जाने से पुनः जंगल में मंगल दृष्टिगोचर होने लगा है।

सबसे बड़ी समस्या पीने के पानी की है। इसे हल करने के लिये सरपंच ने काफी प्रयास किया। जिला ग्रामीण

विकास के अधिकारियों ने एक टैंक बनाने का तखमीना तैयार किया। आह नदी से एक मोटर लगाकर पहाड़ी के नीचे तक पानी लाया गया। दूसरी मोटर से टैंकी तक पानी पहुंचाया गया। इस कार्य में कुल निर्माण राशि 87529 रुपये खर्च हुई। मांडा योजना के तहत 50,000 रुपये एवं निजी आय पंचायत से 37,529 खर्च कर यह नल योजना पूर्ण की गई। पहाड़ की चोटी पर बसे गांव पर स्वच्छ जल, गंगा का ढ़ौल नाच गाकर गांव वालों ने स्वागत किया क्योंकि लोगों ने स्वप्न में भी नहीं सोचा था कि कभी यहां नल लगेंगे। पाइप लाइन गांव की गली-गली लायी गई है। 52 घरों में निजी कनैक्शन दिए गए। दस सार्वजनिक उपयोग के लिए नल लगाये गये हैं। इस नल योजना का संचालन गागरोन पंचायत के द्वारा किया जा रहा है। टैंकी को भरा जाता है जो 12 फुट लम्बी 8 फुट चौड़ी और 6½ फुट ऊंची सीमेंट की है। इसमें छह हजार गैलन की क्षमता है। प्रत्येक कनैक्शन लेने वाले परिवार से 10 रुपया माहवार एकत्रित किया जाता है। विद्युत खर्च प्रतिमाह 500 या 600 रु. लगभग आता है। इस प्रकार बिना हानि-लाभ के यह जल योजना अच्छे ढंग से चलाई जा रही है।

अब सरपंच महोदय नोलाव को जिला मुख्यालय से सड़क द्वारा जोड़ने हेतु प्रयत्नशील हैं। झालावाड़ से गागरोन 7 कि.मी. सड़क निर्माण कार्य चल रहा है जिसे नोलाव तक बढ़ाया जा सकेगा क्योंकि गांव की उन्नति के लिए सड़क का भी बड़ा महत्व होता है।

सहकारी समिति के अध्यक्ष ने बताया कि यहां शीघ्र ही एक सहकारी गोदाम बनने वाला है। वर्तमान में सहकारी समिति कृषकों को ऋण, खाद बीज के साथ-साथ शकर, कपड़ा घासलेट आवश्यक चीजों का वितरण भी करती है।

सदियों से पहाड़ी जंगलों में बसा गांव अब विकास की ओर अग्रसर है। इसके पीछे यहां के सरपंच और जिले के जागरूक कर्मचारी और जन-प्रतिनिधियों को श्रेय जाता है। भविष्य के विकास की सम्भावनाओं के बारे में बताते हुए सरपंच ने बताया कि गांव के तालाब में सिंघाड़े की खेती तो होती ही है अब मत्स्यपालन भी किया जायेगा। गांव में खरंजा तो लगवा दिया गया है। एक औषधालय भवन बनाने का भी निर्माण होना है। कृषि उत्पादन बढ़ाने हेतु लिफ्ट सिंचाई योजना सामुहिक सहकारी स्तर पर आह नदी पर चालू की जा रही है जिससे 2000 बीघा भूमि सिंचित हो सकेगी। अब वहां के निवासियों को विश्वास हो गया है कि यह गांव अब विकास की दौड़ में अग्रसर हो रहा है। □

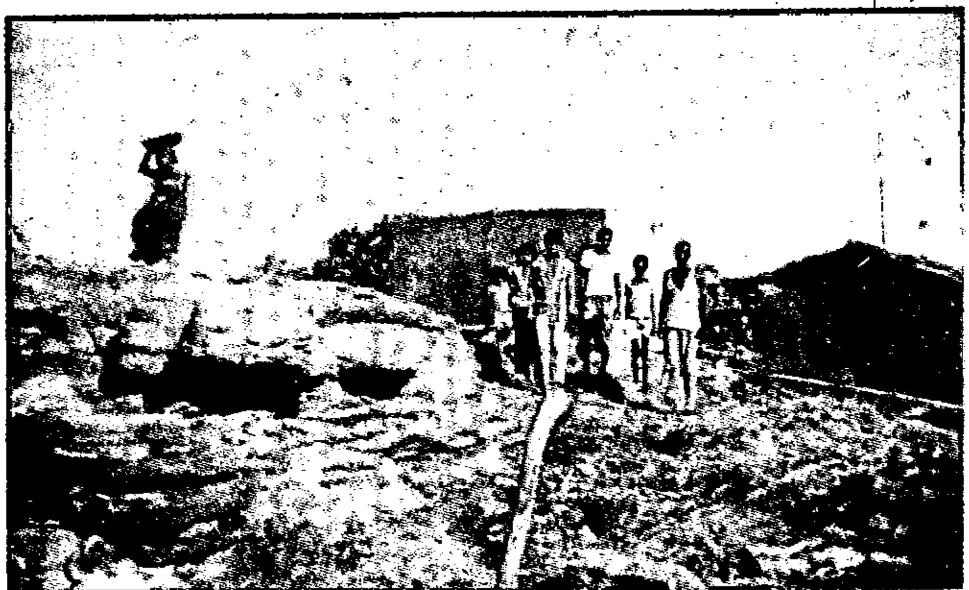

जल योजना ग्राम नोलाव टंकी का निर्माण

पंचायत प्रसार अधिकारी,
झालावाड़ (राजस्थान)

हरियाणा राज्य में कृषि विज्ञान केन्द्र द्वारा समन्वित ग्रामीण विकास

डा. जनार्दन चतुर्वेदी
श्री राजेश्वर सिंह

कृषि विज्ञान केन्द्र द्वारा आयोजित प्रदर्शन प्रक्षेत्र पर सरसों की खेती

कृषि विकास की दृष्टि से हरियाणा एक सुविकसित राज्य है। हरित क्रांति की सफलता में भी इसका विशिष्ट योगदान रहा है। यह हमारे लिए गर्व एवं गौरव की बात है कि पिछले तीन दशकों में हमारे देश में अनाज की पैदावार में तीन गुने से भी अधिक की अभिवृद्धि हुई है और आज हम अनाज के मामले में न केवल आत्मनिर्भर हैं बल्कि हमारे पास 3 करोड़ टन अनाज का सुरक्षित भंडार भी है। खाद्यान्नों (गेहूं, धान, ज्वार, बाजरा आदि) की तरह आज तिलहन व दलहन की उपज बढ़ाना भी आवश्यक हो गया है। गत वर्ष हमें लगभग 13 करोड़ रुपये मूल्य का खाद्यान्न तेल विदेशों से आयात करना पड़ा था। इस आयात को कम करने तथा निकट भविष्य में इस क्षेत्र में भी आत्मनिर्भरता प्राप्त करने के उद्देश्य से हमारे प्रधानमंत्री ने एक 'खाद्यान्न तेल मिशन' की स्थापना की है। इस मिशन का कार्य स्वयं प्रधानमंत्री जी के प्रत्यक्ष संरक्षण एवं देखरेख में चल रहा है। इस मिशन की समयबद्ध सफलता हमारा राष्ट्रीय लक्ष्य एवं प्राथमिकता है। हमारे देश में भोजन में प्रोटीन की अधिकांश मात्रा दालों से ही प्राप्त होती है। विगत कुछ दशकों में खाद्यान्न फसलों पर विशेष बल देने के कारण दलहन की पैदावार भी उपेक्षित-सी हो गई थी। अतः तिलहन के साथ-साथ आज दलहन की पैदावार बढ़ाना भी आवश्यक हो गया है। इतना ही नहीं, कृषि के साथ ही साथ बागानी, पशु धन, सामाजिक वानिकी, गृह विज्ञान आदि विधाओं को भी समन्वित रूप से विकसित करना है

ताकि हमारी खेती, बागवानी, पशुधन, गृह व समुदाय का सम्यक एवं समन्वित विकास हो और ग्रामीण जीवन सुखी, स्वस्थ एवं सम्पन्न हो और परिणाम स्वरूप हमारे गांवों का समन्वित विकास हो सके।

कृषि एवं तत्संबंधी विधाओं का विकास तभी संभव है, जब कृषकों, कृषक महिलाओं तथा ग्रामीण युवकों एवं युवतियों को इन विषयों से संबद्ध आधुनिकतम, ज्ञान व निपुणता को व्यवहारिक रूप में तथा कार्य-अनुभव के माध्यम से प्रदान किया जाय। इस उद्देश्य की प्राप्ति हेतु हरियाणा राज्य के करनाल, गुड़गांव एवं महेन्द्रगढ़ जिलों में कृषि विज्ञान केन्द्र भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद् द्वारा स्थापित किये गये हैं। इन केन्द्रों द्वारा उपरोक्त विषयों में अल्पकालीन एवं दीर्घकालीन पाठ्यक्रम आयोजित किये जाते हैं। साथ ही किसान दिवस, किसान गोष्ठी, किसान मेला, प्रदर्शनी, रेडियो परिचर्या आदि प्रसार कार्यक्रम भी आयोजित किये जाते हैं। महेन्द्रगढ़ जिले का कृषि विज्ञान केन्द्र रामपुरा-रेवाड़ी नामक स्थान पर स्थित है। अपने नियमित कार्यक्रमों के आयोजन द्वारा इस केन्द्र ने समन्वित ग्रामीण विकास की दिशा में विशिष्ट सफलतायें प्राप्त की हैं, जिनकी संक्षिप्त चर्चा कुछ विशिष्ट उदाहरणों के साथ करना इस बात का सर्वोत्तम साक्ष्य एवं प्रमाण होगा कि कृषि विज्ञान केन्द्र समन्वित ग्रामीण विकास में एक सफल एवं अत्यन्त प्रभावशाली भूमिका निभा रहे हैं।

कृषि विज्ञान केन्द्र रामपुरा-रेवाड़ी के आस-पास के गांवों को अपने कार्य क्षेत्र के रूप में चुना है, जहां कृषि एवं तत्संबंधी विकास हेतु प्रशिक्षण एवं अन्य प्रसार कार्यक्रम नियमित रूप से आयोजित किये जाते हैं। उदाहरण स्वरूप ग्राम बिठवाना एवं डालियाकी में कृषि एवं तत्संबंधी उपज में अभिवृद्धि एवं रोजगार के सुअवसरों के निर्माण में कृषि विज्ञान केन्द्र के विशिष्ट योगदान का मूर्त स्वरूप स्पष्ट रूप में देखा जा सकता है। बिठवाना में कृषक श्री राम सिंह ने गेहूं की डब्ल्यू.एच. 283 प्रजाति से 60 क्विंटल प्रति हैक्टेयर, प्याज की नासिक प्रजाति से 280 क्विंटल प्रति हैक्टेयर व बाजरे के खेत में उगाये हुए गेहूं की सी-306 प्रजाति से 25 क्विंटल प्रति हैक्टेयर की उपज प्राप्त की है। तिलहन की खेती में भी सरसों की पूसा बोल्ड प्रजाति से 30 क्विंटल प्रति हैक्टेयर की उपज इन्होंने प्राप्त की है, इतना ही नहीं, सुबबूल, शहतूत, बेर आदि के पेड़ लगाकर सामाजिक वानिकी में अपनी अभिरुचि व सफलता का सजीव नमूना इन्होंने ग्रामवासियों के समक्ष प्रस्तुत किया है।

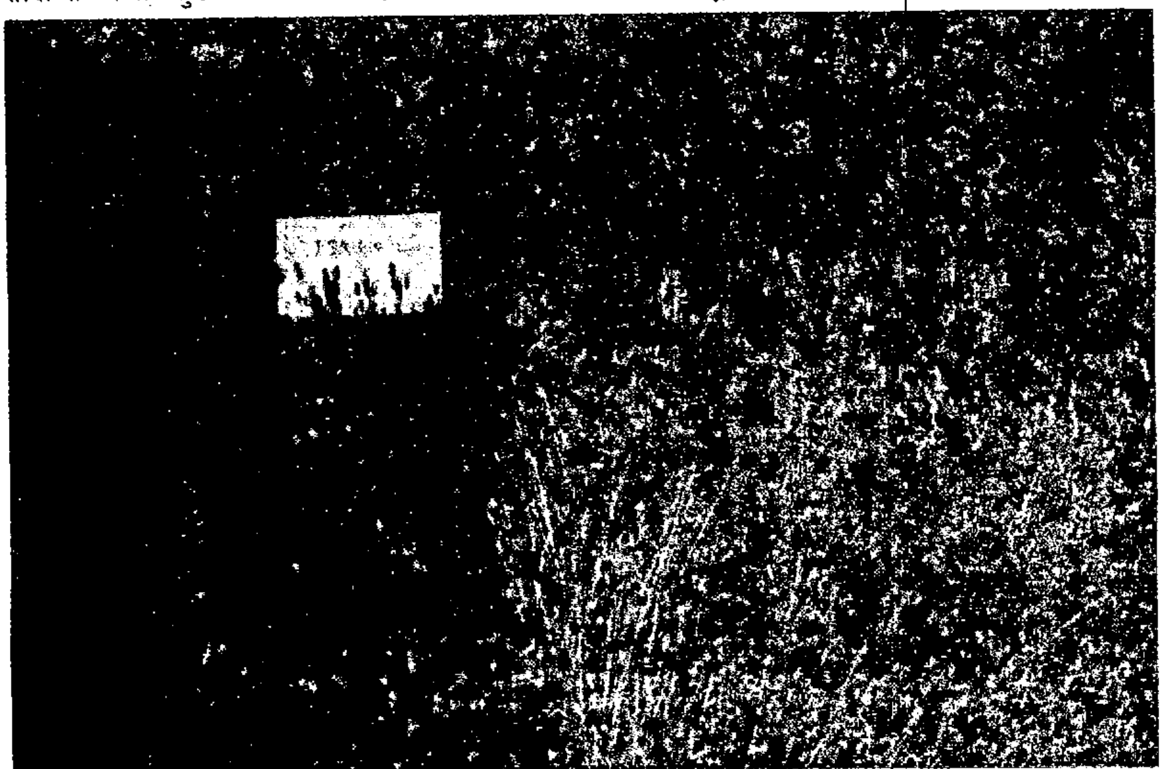

इसबगोल की खेती (कृषि विज्ञान केन्द्र द्वारा आयोजित प्रदर्शन प्रक्षेत्र पर)

देसी किस्म के बेर के पेड़ों पर मुड़िया नामक उन्नत किस्म का प्रत्यारोपण करके इन्होंने बेर का कायाकल्प कर दिया है और प्रत्यारोपण के एक साल बाद ही इन्हें अच्छी किस्म के बेर के फल प्राप्त होने लगे हैं। रबी मक्के की गंगा 6 व 9 प्रजाति से इन्होंने 40 क्वि. प्रति हैक्टेयर उपज प्राप्त की है। इसफगोल की खेती भी इन्होंने की है। इनसे उत्प्रेरित होकर इस गांव के युवक कृषक सर्वश्री अशोक कुमार व विजय सिंह ने भी रबी मक्का तथा इसफगोल की सफल खेती की है।

ग्राम डालियाकी के कृषक सर्व श्री रघुवीर सिंह, रामसिंह, कुंवर सिंह, महावीर सिंह, कालू तथा प्रभुराम ने गेहूं की सी-306 तथा डब्ल्यू.एच. 147 प्रजातियों से 55-60 क्विटल प्रति हैक्टेयर एवं सरसों की पूसा बोल्ड व पूसा बारानी प्रजातियों से 25-26 क्विटल प्रति हैक्टेयर की उपज प्राप्त की है। इसके साथ ही साथ इन किसानों ने भी बेर, शहतूत, सुबबूल, करन्ज आदि के वृक्ष लगाये हैं तथा मुड़िया व गोला नामक बेर के उन्नत प्रजातियों का देशी बेर में गूटी द्वारा प्रत्यारोपण किया है।

भारत वर्ष में कृषि का स्वरूप मिश्रित होने के कारण पशुधन भी कृषि का एक अविभाज्य अंग है। अतः कृषि के साथ-साथ पशुधन का विकास भी बहुत ही महत्वपूर्ण है। इस दिशा में किये गये सफल प्रयासों के सजीव उदाहरण भी ग्राम बिठवाना में देखे जा सकते हैं। कृषि विज्ञान केन्द्र पर पशुओं के संतुलित आहार, प्रबंध, प्रारंभिक चिकित्सा आदि में प्रशिक्षण तथा कृषि विज्ञान केन्द्र के वैज्ञानिकों की समर्पित सहायता व दिशा-निदेशन के फलस्वरूप सुबेदार शेरसिंह जी की दुग्धशाला में दूध दे रही 5 भैंसों से प्रति 45 लीटर दूध का उत्पादन है, जिसे बिचौलियों के हाथ में बेचने पर भी सुबेदार सिंह जी की आय जोड़ में 1000 रु. प्रति माह एवं गर्मी में 1500 रु. प्रति माह है। यदि गुजरात प्रदेश की तरह हरियाणा में भी सहकारी समितियों द्वारा दूध के विपणन की व्यवस्था हो जाये तो सूबेदार सिंह व इनके जैसे अन्य उद्यमियों की आय में अभिवृद्धि होगी और दूसरी तरफ उपभोक्ताओं को बिचौलियों के शोषण से बचाना तथा उन्हें शुद्ध दूध देना भी संभव हो सकेगा। इस गांव के एक दर्जन युवकों ने कृषि विज्ञान केन्द्र पर प्रशिक्षण प्राप्त करके कुक्कुट पालन की आधुनिक व वैज्ञानिक इकाइयां भी स्थापित कर ली हैं।

कृषि, दुग्धशाला, सामाजिक वानिकी, कुक्कुट पालन के आर्थिक रूप से सशक्त व सक्षम तथा वैज्ञानिक व प्रौद्योगिकी की दृष्टि से आधुनिक व उन्नत नमूनों को देखकर यह धारणा सहज ही मन में बनती है कि यदि ग्रामीण कृषकों को कृषि एवं तत्संबंधी ज्ञान व निपुणता व्यवहार परक प्रशिक्षण के माध्यम से कृषि विज्ञान केन्द्रों द्वारा प्रदान की जाय; इसके लिए आवश्यक संशोधन उचित मात्रा में एवं समयानुसार दिये जायें और साथ ही सहकारी संस्थाओं आदि के माध्यम से उत्पादनों के न्यायोचित विपणन की व्यवस्था भी विकसित कर दी जाये, तो ग्रामीण क्षेत्र में भी व्यवसाय का स्वरूप शहरों के उद्योगों की तरह सुसंगठित हो सकता है। आज गांवों में रोजगार के सुव्यवस्थित स्वरूप एवं सुअवसर उपलब्ध न होने के कारण पढ़े-लिखे एवं सामर्थ्यवान लोग गांवों से शहरों की तरफ भाग रहे हैं। गांवों में साधारण तथा अशक्त व अनपढ़ लोग ही ज्यादा संख्या में पाये जा रहे हैं। फलस्वरूप एक तरफ तो ग्रामीण उत्पादन व अर्थव्यवस्था बहुत ही ज्यादा कुप्रभावित हो रही है, तो दूसरी तरफ शहरों में गंदी बस्तियों एवं झोपड़-पट्टियों की बाढ़ निरन्तर बढ़ती जा रही है, जहां का प्रमुख लक्षण है कुपोषण, रोग व जरायम। यदि गांवों में कृषि एवं तत्संबंधी विधाओं का सम्पर्क विकास होगा तथा वहां रोजगार के सुनिश्चित अवसर उपलब्ध होंगे तो गांवों से शहरों की तरफ पलायन धीरे-धीरे कम होगा। गांव भी आर्थिक व्यवसायिक रूप से सुदृढ़ होंगे। और कालान्तर में ग्रामीण स्वराज्य के राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के सपने को साकार करना भी संभव हो सकेगा।

ग्रामीण नारियां भी हमारे ग्रामीण समाज के मेरुदंड हैं। घर की सभी व्यवस्थाओं, बच्चों का भरण-पोषण, उनकी देखभाल, बुनियादी शिक्षा, संस्कार निर्माण, परिवार के सभी सदस्यों की भोजन व्यवस्था, घर की साज-सज्जा आदि के अलावा कृषि एवं तत्संबंधी कार्यों में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। इन तथ्यों को ध्यान में रख कर कृषक महिलाओं एवं पढ़ाई छोड़ देने वाली लड़कियों पर भी कृषि विज्ञान केन्द्र द्वारा आयोजित प्रशिक्षण एवं तत्सम्बन्धी कार्यक्रमों का विशिष्ट प्रभाव ग्राम बिठवाना एवं डालियाकी में देखा जा सकता है। ग्राम डालियाकी की कुमारी माया देवी व रती देवी ने फल संरक्षण, सिलाई कढ़ाई, गृह वाटिका, पोषक आहार आदि कार्यों में प्रशिक्षण एवं अन्य प्रसार कार्यक्रमों द्वारा यथेष्ट ज्ञान व निपुणता प्राप्त कर ली है। इस

गांव की मुन्नी देवी ने प्रशिक्षण प्राप्त करके नीबू, बेर, अमरूद, करंजा, सुबबूल आदि के पेड़ लगाकर सामाजिक वानिकी तथा टमाटर, गोभी, पालक, बैंगन, धनिया, पुदिना आदि उगाकर गृह वाटिका की सफल एवं अनुकरणीय ईकाइयां स्थापित की हैं, जिनकी प्रशंसा किये बिना यहां कुछ समय पूर्व आया हुआ फोर्ड फाउण्डेशन का एक दल भी नहीं रह सका। इसी गांव में श्रीमती राम देवी की देखरेख में एक महिला मंडल भी स्थापित किया गया है, जिसकी सदस्य संख्या प्रारम्भ में मात्र 25 ही थी, पर इसमें उत्तरोत्तर अभिवृद्धि हो रही है। महिला मंडल पर नियमित रूप से चलने वाली कढ़ाई, सिलाई, फल संरक्षण, प्रौढ़ शिक्षा आदि गतिविधियां उत्तरोत्तर लोकप्रिय होती जा रही हैं।

उपरोक्त सफल उदाहरणों से यह स्पष्ट है कि कृषि, पशुधन, बागवानी, गृह विज्ञान आदि विधाओं के विकास में कृषि विज्ञान केन्द्र के प्रशिक्षण एवं तत्संबंधी कार्यक्रम एक सशक्त, सार्थक एवं अत्यन्त प्रभावशाली भूमिका निभा सकता है। परिणाम स्वरूप गांवों को आर्थिक दृष्टि से सशक्त एवं सक्षम तथा व्यवसायिक दृष्टि से सुव्यवस्थित इकाई के रूप में विकसित किया जा सकता है, जहां कृषक परिवारों के उत्पादन व आय में उल्लिखित अभिवृद्धि होगी व रोजगार के सुअवसर भी प्राप्त होंगे। इस प्रकार ग्रामीण भारत सुखी, सशक्त व सुदृढ़ होगा, जहां के नागरिक भी सुखी सम्पन्न कर्तव्य परायण होकर ग्राम स्वराज्य के स्वप्न को साकार करेंगे। □

कृषि विज्ञान केन्द्र एवं वरिष्ठ
तकनीकी अधिकारी, भा.कृ.अ.प.
कृषि भवन, नई दिल्ली

बादल कहां चले जाते हैं

शुभ्रा शर्मा

हमें छोड़ प्यासा का प्यासा
बादल कहां चले जाते हैं!
मानसून वाले मौसम में
गर्म हवाएं झुलसाती हैं
प्यासी आंखों में लूओं की
एक कहानी लिख जाती हैं।
कंठ प्यास से चटका जाता
सूखे होठ जले जाते हैं!
गांव हमारा टेरा करता
खाली-खाली आसमान को
सूखे खेत निहारा करते
सूरज की खिंचती कमान को
लेकिन बादल के हाथों सब
क्यों हर बार छले जाते हैं!
सोच रहे हैं हम मन मारे
जाने कब पानी बरसेगा
क्या बादल केवल गरजेंगे
और हमारा मन तरसेगा
इन्द्र देवता! कुछ तो सोचो
क्यों हम हाथ मले जाते हैं!
पानी बरसे, तो खेतों में
आ जाये फिर से हरियाली
अमराई में कोयल बोले
घर-घर में छाये खुशहाली
बिना बात ही बादल आकर
क्यों चुप से निकले जाते हैं।

कवि नगर,
गाजियाबाद-201002 (उ.प्र.)

उत्तर प्रदेश के गांवों में विकास की लहर

ममता

देश में रहने वाले निर्बल वर्ग के करोड़ों लोगों का सामाजिक एवं आर्थिक विकास करने के लिए केन्द्र एवं राज्य सरकारों ने जो विभिन्न कार्यक्रम चलाए हैं उनसे हमारे ग्रामीण क्षेत्रों में बदलाव आया है और गांव वासियों के जीवन स्तर में भी सुधार हुआ है तथा हो रहा है। ऐसा लगता है कि वह दिन ज्यादा दूर नहीं जब गांधीजी के राम राज्य का सपना पूरा हो जाएगा क्योंकि वर्ष 1986-87 में विभिन्न क्षेत्रों की उपलब्धियां लक्ष्य से अधिक रहीं, जो उत्साहवर्धक है।

1985-86 में उत्तर प्रदेश बीस-सूत्री कार्यक्रम लागू करने के लिए क्षेत्र में सर्व प्रथम रहा है। उसी श्रृंखला में पुनः वर्ष 1986-87 में भी उ.प्र. को ही प्रथम स्थान प्राप्त हुआ। हालांकि उ.प्र. राज्य एक बड़ा राज्य है। जिसकी कुल बारह करोड़ आबादी में से करीब नौ करोड़ लोग यहां के सवा लाख गांवों में बसते हैं। उनकी अपनी समस्यायें हैं। लेकिन जहां एक ओर सरकारी एजेंसी विकास के लिए प्रयत्नशील है वहीं दूसरी ओर उत्तर प्रदेश की जनता का भी व्यापक सहयोग मिला है। गांवों में जागृति आई है। शिक्षा का प्रसार हुआ है। स्वास्थ्य और सड़कों की स्थिति सुधरी है। फलस्वरूप उत्तर प्रदेश में गांवों की अब कायापलट हो रही है।

वर्ष 1986-87 में उ.प्र. की सिंचाई क्षमता में 10.91 लाख हैक्टेयर के विपरीत 11.22 लाख हैक्टेयर की वृद्धि हुई है जोकि निर्धारित लक्ष्यों से अधिक है। साथ ही दलहन विकास के क्षेत्र में नियोजित प्रयासों के फलस्वरूप वर्ष 86-87 में 109%उपलब्धि रही है और 3 130 हजार हैक्टेयर के विपरीत 3415 हजार हैक्टेयर क्षेत्र में दलहनी खेती की गई। इसी प्रकार तिलहन उत्पादन में भी 1 715 हजार हैक्टेयर के वार्षिक लक्ष्य के विपरीत उ.प्र. में 1899 हजार हैक्टेयर क्षेत्रफल में खेती करके 110% उपलब्धि प्राप्त की गई।

गांवों को बिजली पहुंचाने के मामले में 110 प्रतिशत उपलब्धि रही। वर्ष 1986-87 में 4 हजार गांव में विद्युतिकरण किया गया। हरिजन बस्तियों के विद्युतिकरण में यह उपलब्धि और भी बढ़ी तथा 122 प्रतिशत रही। 30 हजार पम्प सैटों तथा नलकूपों का ऊर्जाकरण किया गया जो लक्ष्य का 100.3 प्रतिशत था। भूमिहीन किसानों, ग्रामीण कारीगरों तथा निर्बल वर्ग के लोगों को आवास आबंटन कार्यक्रम में 87952 आवास स्थलों का आबंटन हुआ जो 175.9 प्रतिशत उपलब्धि है। प्रदेश के ग्रामीण विकास विभाग द्वारा 31150 आवास निर्माण का कार्य भी कराया गया। 4510 एकड़ भूमि भूमिहीनों में वितरित की गई। बंधुआ मजदूरों के पुनर्वास में किये जा रहे प्रयासों के फलस्वरूप उत्तर प्रदेश में वार्षिक लक्ष्य के विपरीत वर्ष 86-87 में 117.5 प्रतिशत की उपलब्धि रही। 4 हजार ब्रन्धुआ मजदूर पुनर्वासित किये गये।

वर्ष 86-87 में राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम में 10750.50 लाख रुपये व्यय करके 440 लाख मानव दिवस सर्जित किये गये जो लक्ष्य से 15 प्रतिशत अधिक थे। इसी भांति ग्रामीण भूमिहीन रोजगार कार्यक्रम में 382.86 लाख रुपये व्यय करके 447 लाख मानव दिवस रोजगार का सृजन किया गया। जो लक्ष्य से 14 प्रतिशत अधिक था।

पीने का पानी सुलभ करने की दिशा में 6 हजार समस्याग्रस्त गांवों में पेयजल उपलब्ध कराने का वार्षिक लक्ष्य था जबकि 86-87 में 12 हजार गांवों में पेयजल की सुविधा उपलब्ध कराई गई।

अनुसूचित जाति एंव जनजाति विकास कार्यक्रम में 3 लाख 50 हजार अनुसूचित जाति के परिवार को लाभान्वित करने का लक्ष्य था जबकि 4 लाख 14 हजार 2 सौ 60 परिवारों को लाभान्वित किया गया। उत्तर प्रदेश में वर्ष 86-87 में 48 करोड़ से भी अधिक वृक्ष लगाये गये जबकि वार्षिक लक्ष्य 45 करोड़ का ही था। ऊर्जा के वैकल्पिक साधनों को बढ़ावा देने के उद्देश्य से 26400 बायोगैस संयंत्र लगाये गये।

उ.प्र. में निर्धन वर्ग के तथा पिछड़े हुए लोगों को बेहतर जीवन के अवसर उपलब्ध कराने की दिशा में निरन्तर प्रयास किए जा रहे हैं। स्वतः रोजगार के साधन उनकी आय में वृद्धि कर रहे हैं। लक्ष्य से अधिक उपलब्धियां केवल इस बात की ही परिचायक नहीं हैं कि इस ओर सरकारी प्रयास काफी तेजी के साथ किए जा रहे हैं बल्कि इससे आने वाली कल की तस्वीर भी और साफ होती जा रही है क्योंकि जिनके लिए विकास कार्य होना है उनकी भी इसमें रुचि है। वे भी उत्सुक हैं कुछ करने के लिए कुछ पाने के लिए। यह संकेत निश्चित रूप से आशाजनक तथा स्वागत योग्य है। □

एच-88, शास्त्रीनगर मेरठ (उ.प्र.)

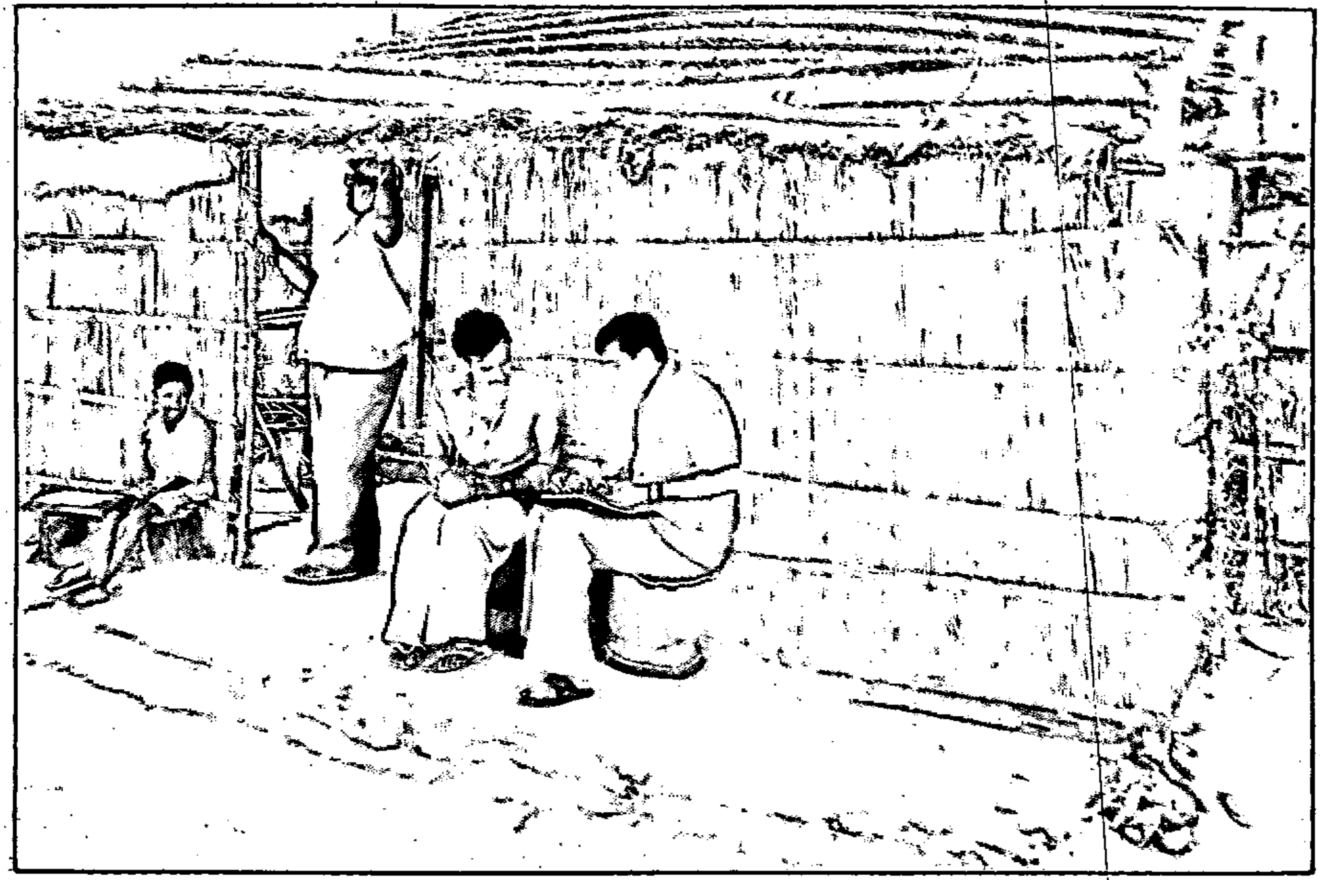

बीस-सूत्री कार्यक्रम 1986

20. संवेदनशील प्रशासन

हम :

- प्रक्रियाओं को सरल बनायेंगे;
- हर स्तर पर उचित अधिकार सौंपेंगे;
- हर स्तर को उत्तरदायी बनायेंगे;
- खण्ड से राष्ट्रीय स्तर तक योजनाओं के परीवीक्षण की व्यवस्था करेंगे; और
- जनता की शिकायतों पर तुरन्त एवं सहानुभूतिपूर्वक कार्यवाही करेंगे।

आर.एन./708/57
डाक-तार पंजीकरण संख्या : डी (डी एन) 98
पूर्व भुगतान के बिना एन.डी.पी.एस.ओ., नई दिल्ली में डाक में डालने
की अनुमति (लाइसेंस) : यू (डी एन)-55

RN/708/57
P & T Regd. No. D (DN) 98
Licenced under U (DN)-55
to post without pre-payment at NDPSO, New Delhi

डा. श्याम सिंह शशि, निदेशक, प्रकाशन विभाग, पटियाला हाऊस, नई दिल्ली-110001 द्वारा प्रकाशित और
वीरेन्द्रा प्रिंटर्स, हरध्यान सिंह रोड, करोल बाग
नई दिल्ली-110005 द्वारा मुद्रित